कामकाजी महिला

वर्ष 3 | अंक 5 | जून, 1991 | मूल्य : 2 रु०

राष्ट्रीय मोर्चा–वामपंथी पार्टियों के गठबंधन को वोट दें

आड्डवा राजीव गांधी की हत्या की भर्त्सना करती है

आड्डवा की सचिव वृन्दा करात तथा उपाध्यक्ष विमल रणदिवे ने 21 मई 1991 को निम्न वक्तव्य जारी किया।

अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ कांग्रेस अध्यक्ष तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जघन्य हत्या पर गहरा दुख व्यक्त करता है। यह देश के दुश्मनों का काम है जो देश को विभाजित, अस्थिर व कमजोर देखना चाहते हैं। यह घटना ऐसे समय में घटी है जब देश गंभीर संकटों से गुज़र रहा है। इसकी एकता सांप्रदायिक, विभाजनकारी व विघटनकारी शक्तियों के कारण खतरे में है। इन शक्तियों की गतिविधियों ने देश के राजनैतिक माहौल को खराब कर दिया है। समय की मांग है कि हम संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर देश के हित में सोचें।

'आड्डवा' शान्ति की अपीलों में अपनी अपील भी जोड़ती है। यह श्रीमती सोनिया गांधी, उनके पुत्र, पुत्री तथा परिवार के अन्य संतप्त सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

इस अंक में

रोजगार की चिन्ता	3
राष्ट्रपति से महिला संगठनों की अपील	4
बिहार राज्य आंगनवाड़ी ··· सिकन्दरा प्रखण्ड में संपन्न	5
बिहार में कामकाजी महिलाएँ	7
इंश्योरेंश उद्योग में कार्यरत महिलाओं का प्रथम सम्मेलन	8
शत्-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने पर केरल की जनता को बधाई	9
ए. आई. आई. ई. ए. महिला सम्मेलन	10
आंगनवाड़ी फेडरेशन की इकाइयों से अपील	11
अपनी मांगों के संबंध में स्टील उद्योग की नर्सों का ज्ञापन	12
महिला सांसदों की भूमिका	13
पंजाब में 180 दिन के गर्भावस्था अवकाश की स्वीकृति	14
विकास की नई दिशा	15
ए. सी. एफ. टी. यू. द्वारा चीनी महिला कामगारों की राष्ट्रीय समिति की स्थापना	16
चुनाव के लिए महिलाओं से अपील	17
समान वेतन पर आई. एल. ओ. सम्मेलन पर सीटू की टिप्पणी	23

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति के लिए विमला रणदिवे की ओर से 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 3714071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21 झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित।

रोजगार की चिन्ता

'माइक्रोईलैक्ट्रोनिक्स का जापानी महिलाओं के जीवन और काम पर प्रभाव :

कियोको ओजेकी (Vice G. Secretary of WIDF)

हाल में विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति विशेषकर तकनीकी व माइक्रोइलैक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में हुई प्रगति ने महिलाओं के जीवन और कामकाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न कर दिये हैं।

माइक्रोतकनीक के क्षेत्र में हुई प्रगति से समय की बचत व काम के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। जो कार्य पहले 'मानव-श्रम' पर निर्भर रहता था, वह अब माइक्रोइलैक्ट्रोनिक मशीनों द्वारा तेज़ी से और बिना किसी दिक्कत के कर दिया जाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जापान में ऐसा कोई प्रतिष्ठान नहीं है, जहां आधुनिकतम तकनीकी उपकरण उपलब्ध न हों।

लेकिन विज्ञान व तकनीक की इस प्रकार की उन्नति ने हमेशा महिलाओं को कठोर श्रम से मुक्ति नहीं दी है, न ही इससे उन्हें जीवन को अधिक सुखद बनाने के लिए अतिरिक्त फुर्सत मिली है।

जापान की कामगार महिलाओं के जीवन की वास्तविकता इस बात को भली प्रकार उजागर करती है कि पूंजीवादी विश्व में विज्ञान और तकनीक की उन्नति का श्रमिकवर्ग के लिए क्या अर्थ होता है। पूंजीवादी समाज में माइक्रो तकनीक ने औद्योगिक हितों को शोषण के साधन के रूप में स्थान दिया है।

विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ चलने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की समस्याओं से निबटने के लिए जापानी इजारेदारों ने इक्कीसवीं सदी के लिए 'अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता उन्मुख आर्थिक ढांचे में परिवर्तन' की रणनीति बनायी है।

जापानी उद्योग के ढांचे में परिवर्तन नयी तकनीक को ध्यान में रखकर ही किये जा रहे हैं। एक ओर लेबर स्टैंडर्ड कानून तथा अन्य श्रम कानूनों में परिवर्तन किया जा रहा है, तो दूसरी ओर अस्थायी श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है।

डेटा सर्विस उद्योग का उदाहरण लीजिये। जापानी सरकार तथा आर्थिक प्रतिष्ठानों में डेटा सर्विस उद्योग को विशेष महत्व दिया है तथा उसके विकास के लिए भारी अनुदान मंजूर किये हैं। काम में लगे 'जनरल पर्पज़ कम्प्यूटरों' की संख्या 1986 में 140,000 थी, और अब तक यह संख्या और बढ़ गयी होगी। कंप्यूटर से जुड़े डेटा सर्विस कर्मचारियों की संख्या 1984 में 153,000 थी। इनमें से अधिकतर 'प्रोग्रामर', सिस्टम इंजीनियर' तथा 'की-पंचर्स' हैं। 'की-पंचर्स अधिकतर महिलाए हैं, जो कि इस क्षेत्र में कार्यरत कुल महिलाओं (51,300 से लगभग आधी हैं। अधिकतर श्रमिक जोकि इस उद्योग की महत्वपूर्ण श्रमशक्ति हैं, अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। जिन्हें रोजगार एजेंसियों ने विभिन्न कंपनियों के पास भेजा है। ये श्रमिक इन एजेंसियों में तनख्वाह पर हैं लेकिन जब जिस कंपनी में काम की जरूरत होती है वे वहां जाकर काम करते हैं। इस किस्म के रोज़गार की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें अधिकतर युवक कार्यरत हैं। इनमें से आधों की उम्र 22 से 25 के बीच है। उनका वेतन 120,000 येन प्रतिमाह है जिसका भुगतान निम्न प्रकार से होता है :

खरीददार कंप्यूटर खरीदकर निर्माता से अपनी आवश्यकता के अनुसार 'प्रोग्राम' बनाने को कहता है तथा भुगतान करता है। मान लीजिये 600,00 येन। निर्माता रोज़गार एजेंसियों से काम करवाते हैं। चूंकि हर स्तर पर कमीशन दिया जाता है इसलिए कर्मचारियों को केवल 150,000 येन ही मिल पाता है। वे 7 से 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तथा अक्सर ओवरटाईम भी करते हैं। सिस्टम-इंजीनियरिंग तथा प्रोग्रामिंग में कार्यरत महिलाओं में से लगभग 15% महीने-भर में 60 घंटे से अधिक ओवरटाईम करती हैं। जब वे ऐसा करने से इंकार करती हैं तो उन्हें निकाला जा सकता है भविष्य में रोज़गार की सुविधा भी छीनी जा सकती है। इसलिए उन्हें जैसा कहा जाता है वैसा करना पड़ता है।

इन परिस्थितियों को सुधारने के लिए 1986 में अस्थायी मजदूर कानून बनाया गया। इसके अनुसार एजें-

सियों को काम की जानकारी पहले लिखकर देनी होगी। लेकिन अधिकतर मामलों में रोज़गार मौखिक वादों के आधार पर दिया जाता है। एक सरकारी सर्वे से पता चला कि 65 प्रतिशत कर्मचारी अपनी 'नौकरियों के लिए चिन्तित हैं।'

इन तथ्यों से इन संस्थानों का नये लोगों का शोषण करने का सिद्धांत उजागर होता है, क्योंकि ये श्रम सस्ता व आसानी से उपलब्ध होता है तथा नये लोग चीजों को सीखने में तत्पर होते हैं। उपकरणों पर आये भारी खर्च को पूरा करने के लिए यह आवश्यकता है कि मशीनरी की जल्दी-जल्दी बदली हो। इसका नतीजा यह होता है कि कर्मचारियों को रात-रात को कठोर श्रम करना पड़ता है। और अब हम लेबर स्टैंडर्ड कानून में हो रहे नकारात्मक परिवर्तनों का एक सिलसिला देख रहे हैं। प्रतिदिन काम के घंटों को अनियमित करना तथा कुल कार्य-अवधि को लचीला बनाना इसका उदाहरण है।

राष्ट्रपति से महिला संगठनों की अपील

दिनांक : 29/5/1991

माननीय
राष्ट्रपति भारत सरकार
राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली

श्रीमान

1. हमने आज आपको एक टेलीग्राम भेजा था, उसी विषय में हम आपको राष्ट्रीय महिला संगठनों की तरफ से यह ज्ञापन दे रहे हैं। हम आपका ध्यान उन प्रेस रिपोर्टों की तरफ खींचना चाहते हैं जिनमें कहा गया है कि श्री चंद्रशेखर की सरकार ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने का निर्णय लिया है और यह कि सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों के नाम शीघ्र ही एक-दो दिन में घोषित कर दिये जायेंगे।

2. हम इन रिपोर्टों से बहुत चिंतित हैं। यदि ये सत्य हैं तो चुनाव आयोग द्वारा कामचलाऊ अंतरिम सरकार के कामकाज के लिए बनाये गये नियमों का साफ तौर पर उलंघन होगा। कामचलाऊ सरकार को इस तरह के आयोग को बनाने का तथा उसके सदस्यों को मनोनीत करने का कोई अधिकार नहीं है।

3. हम बताना चाहते हैं कि जबकि कामचलाऊ सरकार के कामकाज के कुल तीन सप्ताह बाकी हैं, आयोग के सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा। साफ तौर पर केवल वह सरकार जिसे जनता का जनादेश हासिल है उसी को ऐसा आयोग, जिसका महिलाओं के लिए बराबरी के संघर्ष में विशेष महत्व है, को गठित करने का अधिकार होगा।

4. अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हस्तक्षेप करें और कामचलाऊ सरकार को ऐसा कदम उठाने से रोकें जो उसके अधिकार क्षेत्र के साफ तौर पर बाहर है और जिसका महिलाओं के न्याय के संघर्ष पर बहुत प्रतिकूल असर होने वाला है।

सधन्यवाद

आपके भवदीय

ऑल इंडिया कॉरडिनेशन कमेटी ऑफ वर्किंग वीमन	—विमल रणदिवे
ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेन्स एसोसिएशन	—ब्रिंदा करात
सेन्टर फॉर वीमेन्स डेवॅलपमेंट स्टडीज	—लोतिका सरकार
जोइंट वीमेन्स प्रोग्राम	—ज्योत्सना चटर्जी
महिला दक्षिता समिति	—रंजना कुमारी
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वीमेन	—विमल फारूखी
यंग वीमेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन	—मेरी खेमचन्द

बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका एवं कर्मचारी संघ का प्रथम सम्मेलन बिहार के जमुई जिला के सिकन्दरा प्रखण्ड में संपन्न

बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका एवं कर्मचारी संघ का प्रथम राज्य स्तरीय सम्मेलन दिनांक 5 मई, 1991 को जमुई जिला के सिकन्दरा प्रखण्ड में संपन्न हुआ। सम्मेलन में बिहार के बीस जिलों से 400 आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं ने प्रतिनिधि एवं प्रेक्षकों के रूप में भाग लिया। इसके अलावा बिहार चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ के विभिन्न जिला शाखाओं और राज्यस्तरीय नेताओं ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के लिये एक स्वागत समिति का भी गठन किया गया था जिसमें सिकन्दरा की आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के अतिरिक्त बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ तथा बिहार चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतिनिधियों, प्रेक्षकों एवं अतिथियों के रहने की व्यवस्था भी कालेज के प्रांगण एवं स्थानीय सिंचाई विभाग के विश्राम-गृह में की गयी थी। भोजन, नाश्ते तथा चाय आदि की व्यवस्था भी स्वागत-समिति की ओर से की गयी थी।

प्रातः दस बजे अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहयोगी संघ की अध्यक्षा कॉ० विमल रणदिवे ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसके बाद शहीद वेदी पर माल्यार्पण के बाद प्रतिनिधि सभा का आरंभ किया गया। सभा की अध्यक्षता एक अध्यक्ष मंडल ने की जिसमें श्रीमती सुशीला देवी, श्री मदन मोहन प्रसाद श्रीमती राजकुमारी देवी एवं श्रीमती सरिता सिन्हा सम्मिलित थीं।

आगे उद्घाटन भाषण में कॉ० विमल रणदिवे ने कहा कि—"मुझे बिहार राज्य आंगनवाड़ी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस सम्मेलन का काफी समय से इन्तजार था। उपस्थित महिलाओं की बड़ी संख्या एक बार फिर यह जाहिर करती है कि तमाम शक्तियों को एक बैनर तले इकट्ठा करके उनकी मांगों के लिये संघर्ष करने की गंभीर आवश्यकता है।" इसके बाद उन्होंने उदयपुर में अखिल भारतीय महिला आंगनवाड़ी फेडरेशन के गठन के बारे में बताया तथा इस नयी, बिहार यूनिट के शामिल होने का स्वागत किया। आंगनवाड़ी महिलाओं की एक महत्वपूर्ण मांग उन्हें सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता देना है जो कि केन्द्र सरकार के अधीन काम कर रही हैं। लेकिन उन्हें समाज सेविकाओं के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए 'मानधन' नहीं बल्कि 'अपमानधन' है। यह उन महिलाओं का अपमान है जो दिन में पांच घंटे या उससे भी अधिक समय तक महिलाओं व बच्चों के उत्थान के लिए ग्रामीण व शहरी इलाकों में काम करती है। उन्होंने समझाया कि किस प्रकार आंगनवाड़ी महिलाओं ने अपनी मांगों के लिए संघर्ष किया। अन्त में उन्होंने यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त किया कि "अब देश भर में महिलाएं फेडरेशन के बैनर तले एकत्र हो रही हैं तथा उन्होंने 'अखिल भारतीय' संघर्ष समिति का गठन किया है, जो उनकी मांगों के लिये संघर्ष कर रही है तथा जल्द ही मंत्री महोदय से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन देने जा रही है।"

बिहार राज्य जनवादी महिला समिति के नेता तथा श्रमिक नेता श्रीमती रमणिका गुप्ता, कॉ० सुधा बिन्दु मित्रा, सीटू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉ० चण्डी प्रसाद, बिहार चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महामंत्री जी राधारमण सिन्हा तथा बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की उपाध्यक्ष श्रीमती रामपुकारी देवी एवं बिहार राज्य पंचायत सेवकसंघ के महामंत्री श्री शिवशंकर सिंह आदि ने सभा को संबोधित किया। प्रतिनिधि सभा में पूर्व सत्र की संयोजिका श्रीमती सुशीला देवी तथा स्वागत मंत्री श्रीमती शान्ति देवी ने अपना-अपना प्रतिवेदन रखा।

तदोपरान्त उपस्थित प्रतिनिधियों ने भी अपनी समस्याओं और उसके समाधान से संबंधित विचार रखे व प्रतिज्ञा की कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहयोगी संघ के नेतृत्व में, बिहार की सेविकाएँ और सहायिकाएं बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगीं।

"अतिथियों व प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए श्री सत्यनारायण दास (स्वागत समिति के अध्यक्ष) ने कहा कि "आज जिस प्रकार खुशी के अवसर पर तमाम सेविकाओं व सहायिकाओं का एकत्र होना संघर्ष के लिये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रकट करता है। मुझे याद है 1988 में बिहार में आंगनवाड़ी महिलाओं की श्रीमती शान्ति मिश्रा के नेतृत्व में 75 दिन की हड़ताल की जिससे यूनियन की शक्ति उजागर हुई। इन मांगों और संघर्षों के उपरान्त हम आज यहाँ अपना पहला सम्मेलन करने के लिए आये हैं। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी महिलाओं की प्रमुख मांग सरकारी कर्मचारियों के रूप में पंजीकरण है तथा इसे प्राप्त करने के लिये उन्हें संगठित होकर संघर्ष करना होगा। इन सेविकाओं ने अपनी समस्याओं के बारे में दूसरों को जानकारी देने का काम उत्कृष्टता से किया है जो यहाँ एक होकर आयी हैं।"

आंगनवाड़ी सेविकाओं के संघ का बनना एक स्वागत योग्य तथ्य है तथा वे अपने संघर्ष में अवश्य ही सफल होंगी।

स्वागत समिति की महासचिव श्रीमती शान्ति मिश्रा ने प्रथम सम्मेलन के अवसर पर प्रतिनिधियों व प्रेक्षकों को बधाई दी। बाद में उनकी दयनीय स्थिति की ओर आते हुये उन्होंने कहा कि अब हम अधिकारियों से प्रार्थना करते-करते थक गये हैं। वे बहरे हो गये हैं। हमारी अपील उन तक नहीं पहुंचती। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या आप जानती हैं कि अधिकारी बहरे क्यों हो गये हैं? इसका कारण क्या है? यह हमारे 'सामान्य आन्दोलन' से अलगाव के कारण है। अब हम एक स्वर में मांग करने की स्थिति में आ गये हैं तथा सौभाग्य से हमें महासंघ का मार्गदर्शन भी मिल गया है। मुझे विश्वास है कि संगठित हुए बिना हम अपनी मांगों को नहीं मनवा सकते। अन्त में उन्होने कहा—"ये निकम्मी सरकार हमारी मांगों को भले ही न सुने लेकिन हमें संगठित होकर अपनी मांगों के लिये संघर्ष करने को तैयार हो जाना चाहिये। हम इन्हें पा कर ही रहेंगे।"

चर्चा मे लगभग 20 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बिहार में वे जिन परिस्थितियों का सामना कर रही हैं उन पर बोलने के लिये सभी सदस्याएं उतावली थीं। परन्तु अध्यक्ष मंडल ने फैसला किया कि एक जिले से केवल एक ही सदस्य बोलेगा। सदस्यों के उत्साहपूर्ण भाषणों कई जानकारियां मिलीं तथा सी. डी. पी. ओ. के भ्रष्टाचार का पता चला। उनकी समस्याओं के बारे में पता चला। उन्हें कैसे अनेक काम करने पड़ते हैं, यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता। हर वक्ता का भाषण एक कहानी या जिससे 'मानधन' तथा 'समाज सेविकाओं' के नाम पर होने वाले शोषण का पता चला। समय की कमी के कारण बहुत से वक्ताओं को अपनी बात बीच में ही समाप्त करनी पड़ी।

एक मांग पत्र सम्मेलन के सम्मुख रखा गया जो पास हो गया। यह फैसला किया गया कि नवनिर्मित संगठन का नाम 'आंगनवाड़ी सहायिका, सेविका व कर्मचारी संघ' रखा जायेगा तथा यह अखिल भारतीय आंगनवाड़ी फैडरेशन से संबद्ध होगा।

इसके उपरान्त अगले सत्र के लिये श्री प्रफुल कुमार सिंह, जिलामंत्री महासंघ एवं श्री अर्जुन सिंह, जिला मंत्री चिकित्सा संघ, चुनाव पदाधिकारियों का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया।

अध्यक्ष : श्रीमती सुशीला देवी—समस्तीपुर

उपाध्यक्ष : 1. श्रीमती सुनयना देवी, (मुंगेर) 2. श्रीमती सुशीला हंसया (गोड्डा) 3. श्रीमती जानकी देवी, सिकन्दरा (जमुई) 4. श्री श्रीमती गिरजा देवी (अलीगंज) (जमुई)

मंत्री : श्रीमती शान्ति मिश्रा, सिकन्दरा (जमुई)

संयुक्त मंत्री : श्रीमती शीला सिन्हा, मसौदी (पटना) 2. श्रीमती राम वैदेही देवी—(बेगूसराय) 3. श्रीमती पार्वती देवी, (औरंगाबाद)

कार्यालयमंत्री : श्रीमती धर्मशीला देवी—मसौढी (पटना)

कोषाध्यक्ष : श्रीमती सुभद्रा सिंह—फतुहा (पटना)

श्रीमती सुशीला देवी, श्रीमती शान्ति मिश्रा एवं श्रीमती शीला सिन्हा को अखिल भारतीय संगठन के लिए बिहार राज्य की ओर से प्रतिनिधि चुना गया। प्रमंडलीय मंत्री के रिक्त पदों को बाद में भरने का निर्णय लिया गया। अन्त में अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के बाद सभा की कार्रवाई का समापन किया गया।

बिहार में कामकाजी महिलायें

□ सरिता सिन्हा

बिहार में कामकाजी महिलाओं की समिति अलग से नहीं है। लेकिन बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले बिहार राज्य की सरकारी लिपिक (क्लर्क) Typist steno, समाज कल्याण विभाग की (ग्राम सेविका) उद्योग विभाग अनुदेशक गुड़ीया सेन्टर काम करनेवाली, Urdu-Translater in Block development office state Govt Primary teachers, Nurses of all category जैसे श्रेणी ए०, Lady Health Visitor Sister tutor, ward sister, A.N.M., A.H.W. Female Sweeprers ward attendent female Ophthalmic Assistant female (In Hospital State Gov). इसके अलावा आंगनवाड़ी में काम करने वाली सहायिका एवं सेविकाएं जो सिर्फ मानदेयन पर काम कर रही हैं की संख्या लगभग 30,000 की है इन्हें भी अभी तक अ.प.कर्म. महासंघ ही निर्देश देता रहा है। तथा समस्याओं को देखता है। स्वा० विभाग में काम करने वाली प्रशिक्षित प्रसव सेवकाएं जो 70,000 की संख्या में हैं 1977 में केन्द्र सरकार के योजना के तहत उन्हें ग्रामीण इलाकों में साफ और सही तरीके से प्रसव कराने के लिए 1 माह का प्रशिक्षण 300 रुपये प्रति माह की stipend देकर दिया गया। पुन: एक Kit box देकर उनसे प्रसव का कार्य लिया जाने लगा लेकिन इस कार्य के लिए उन्हें कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। प्रशिक्षणोपरांत ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें सरकारी सेवक समझ कर जो भी कपड़ा, अनाज या कुछ पैसे जो सदियों से मिलता रहा था वह भी बन्द कर दिया गया, यह समझ कर कि उन्हें सरकारी पैसा मिलता होगा। फलत: वे भूखों मरने लगी क्योंकि काम भी जबरन उनसे लिया जाता है। उनका शोषण बड़े पैमाने पर किया जाने लगा फलस्वरूप वि. रा. चिकित्सा एवं जन स्वा. कर्मचारी संघ ने उनका एक संघर्ष समिति का गठन करवा कर उन्हें सरकारी सेवक घोषित करने, पोशाक देने Kit box के सामानों की अपूर्ति टोर्च बैटरी और जब तक उन्हें सरकारी सेवक घोषित नहीं किया जाता है तब तक 100 रु. प्रतिमाह मानदेय देने की मांग बिहार सरकार से रखी। तथा समय-समय पर चि० सघ एवं N G.E.F. के तत्वाधान में संघर्ष पर आयीं। फलतः उन्हें बिहार सरकार ने विगत 12 दिसम्बर 1990 के अनिश्चितकालीन हड़ताल के पूर्व 11 दिसम्बर 1990 के समझौते में (N.G.E.F.) के साथ निर्णय लिया एवं मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि तत्काल अप्रैल 1991 से सभी प्रसव विकासों को 100 रु. प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा तथा नियमानुसार चतुर्थ वर्ग के वर्गों जैसे Sweeper, peon, ward Attendent में इन्हें बहाल किया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि ये प्रसव सेविकाएं 1987 के जनवरी में कर्मचारी आन्दोलन के साथ जेल भरो अभियान में भारी संख्या में जेल गई थीं। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों की एक उपसमिति का विधिवत् गठन 1988 जुलाई में किया था जो अभी राज्य स्तर पर है। उपसमिति ने अपने सम्मेलन में 25 सूत्री प्रस्ताव पारित कर सरकार को दिए हैं। साथ ही चि० सघ और महासंघ के द्वारा समस्याओं के निदान का ख्याल रखा जाता है पर सामान्य सवाल पर आमराय बन जाना उचित है लेकिन महिला संघर्ष की जो विशेष समस्याएं हैं वह हल नहीं हो पाती है। क्योंकि विभिन्न विभाग में कार्यरत महिलाओं की अपने-अपने ढंग की समस्याएं हैं। कई सवाल एक से हैं स्थिति को समझने में पुरुष वर्गों ने हमारी सहायता की है। फिर भी आवश्यकता है कि हमारी Co-Ordination Committee of Working Women का विकास प्रत्येक प्रान्त में हो। जब तक महिलाओं में समन्वय नहीं काम करता हमारी मूल समस्याओं का निदान नहीं हो पाएगा क्योंकि यह सर्व विदित है कि सरकारी या गैर सरकारी हो या अर्ध सरकारी महिला की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ग्रामीण स्तर पर तकनीकी विकास ने ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली स्त्रियों के जीवन में बड़े पैमाने पर उलट-फेर किया है। उनकी रचनात्मक कार्य-कुशलताओं में बड़ी गिरावट आयी है। इन्हें अकुशल मजदूरिन बनना पड़ा है। उनकी मेहनत बढ़ी है असुरक्षा

की भावना भी बढ़ी है जो चीज उन्हें मुफ्त में आसानी से मिलती थी अब अधिक मेहनत और पैसे से मिलती है। परिवार नियोजन के तरीकों को उन पर ऐसे थोपा जाता है, परीक्षण दिया जाता है जैसे हम पशु हों। यदि सामानों की बिक्री करना हो तो हमें गलत प्रचार का माध्यम बनाया जाता है। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या में भी कमी नहीं है खास कर लेमनचूस फैक्टरी में काम करने वाली महिलाओं पर काफी अत्याचार होता है उन्हें कार्य से निकाल भी दिया जाता है। अकारण इस प्रकार महिला को घटिया स्तर पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है।

हम उक्त सम्मेलन का अभिनन्दन करते हैं तथा आशा करते हैं कि हमारी संगठन हर स्तर पर मजबूती की दिशा में बढ़ती जाय ताकि हम अबला से सबला बन कर देश को सवारने में सहयोग कर सकें।

इस सम्मेलन में अस्वस्थता के कारण मैं भाग न ले सकी इसके लिए खेद है।

कांग्रेस (इ) की स्थायी सरकार के शासन में हुए हुए जुल्मों का विवरण

रेप

1985	6,356 (स्रोत : लोकसभा 25-2-1986
1986	7,509
1987	7,638 (स्रोत : राज्यसभा 29-8-1990)
1989	7,586

दहेज के लिए हुई मौतें

1988	2,209
1989	4006

अनुसूचित जातियों पर अत्याचार

इन अत्याचारों में हत्या, गंभीर मारपीट, रेप, आगजनी व अन्य अपराध शामिल हैं।

1985	15,373
1986	15,403 (स्रोत : राज्यसभा 18-5-1990)
1987	13,529
1988	15,207
1989	14,366

इंश्योरेंस उद्योग में कार्यरत महिलाओं का प्रथम बिहार राज्य सम्मेलन

19 मार्च, 1991 को जमशेदपुर में इंश्योरेंस उद्योग में कार्यरत महिलाओं का प्रथम बिहार राज्य सम्मेलन हुआ जिसमें 65 डेलिगेटों 67 ऑबजरवर, और 9 बिरादराना औरतों ने हिस्सा लिया। यह सम्मेलन एक से अधिक कारणों से महत्वपूर्ण था। यह बिहार राज्य में अपनी तरह का अलग सम्मेलन था जिसे संयुक्त रूप से बिहार राज्य के जीवन बीमा तथा सामान्य बीमा क्षेत्रों के ए. आई. आई. इ. ए. इकाइयों ने संयोजित किया। सम्मेलन के आयोजन के लिये एक स्वागत समिति बनाई गई जिसमें श्रीमति स्नेहलता सिन्हा, जो जमशेदपुर यूनी. के मनोविज्ञान विभाग की अध्यक्षा है, को चेयरपर्सन तथा का० शांति भट्टाचर्जी (जीवन बीमा निगम, जमशेदपुर) को सेक्रेटरी रखा गया।

सम्मेलन का उद्घाटन मगध महिला कालेज, पटना, के इतिहास विभाग की प्रोफेसर श्रीमति अपंणा भट्टाचर्जी ने किया। ए. आई. आई. इ. ए. और बी. एस. जी. आई. इ. ए. की डिवीजनल इकाइयों के प्रतिनिधियों द्वारा एक प्रेसीडियम बनाया गया ताकि सम्मेलन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाई जा सके।

सामाजिक न्याय और औरतों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिन्होंने संघर्ष किये उनकी स्मृति में सबसे पहले सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया।

बिहार राज्य की जनवादी महिला समिति की सचिव का. सुधाबिन्दु मिश्रा मुख्य वक्ता थीं। ए.आई.आई.इ.ए. के सचिव का. शांति भट्टाचर्जी की उपस्थिति से सम्मेलन और भी प्रभावशाली हो गया। अपने भाषण में, का. भट्टाचर्जी ने औरत समुदाय की कभी न खत्म होने वाली पीड़ाओं की तरफ इशारा किया और वास्तविक स्वतंत्रता और पुरुषों के साथ बराबरी के सवाल को उजागर किया।

बहस का आधार वह एप्रोच पर्चा था जिसमें गरीब और पिछड़ों के दुःख दर्द, महगाई, बेरोज़गारी सामाजिक असंतुलनताएं, बद्तर राजनैतिक हालात औरतों और बालिकाओं के प्रति असमान व्यवहार, अपर्याप्त शैक्षिक सुविधाएं, औरतों के लिए असमान कानूनी प्रावधान, समाज में निम्न-विकसित समुदायों में अंध विश्वास, बाल-विवाह, भ्रूणहत्या, दहेज और देश की अन्य बड़ी समस्याओं का जिक्र था। **(इंश्योरेंस वर्कर, अप्रैल 91 से साभार)**

"शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने पर केरल की जनता को बधाई!"

केरल की वाम मोर्चा सरकार, जनता तथा आम महिलाएं साक्षरता अभियान के परिणामस्वरूप निरक्षरता पर अभूतपूर्व विजय प्राप्त करने के लिए बधाई की पात्र हैं। क्या कोई विश्वास कर सकता है कि 290 लाख आबादी वाले इस छोटे राज्य में हर पुरुष व महिला साक्षर है? यह विश्व के अनेक आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है। वे सभी पार्टियाँ जो आगामी चुनावों में सत्ता प्राप्त करने की होड़ में हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि यह लक्ष्य कैसे हासिल किया गया तथा हमें भी यह समझना चाहिए कि केवल वाम मोर्चा सरकार ही इस लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध क्यों थी।

इस सफलता में तीन प्रमुख बातों का योगदान है।

1. 'अक्षरकेरलम' (साक्षारता आन्दोलन) को समर्पित कार्यकर्ताओं द्वारा पूरा महत्व दिया जाना; जिन्होंने निष्ठापूर्वक काम करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया। 93.16 प्रतिशत को पूर्ण रूप से साक्षर घोषित किया गया है क्योंकि यह निर्धारित लक्ष्य से बहुत अधिक था। केरल साक्षरता समिति (के. सा. स.) बधाई की पात्र है।

2. पढ़ना व लिखना सीखने के लिए जनता की दृढ़ इच्छा शक्ति — हम में से जिन्होंने प्रौढ़-शिक्षा की कक्षाओं में आने को तैयार करना कितना मुश्किल है। हम महिला संगठन, इस बात को जानते हैं कि महिलाओं के लिए धैर्य से बैठकर पढ़ना व लिखना कितना दूभर होता है जबकि वे घर तथा बच्चों की जिम्मेदारियों से घिरी होती हैं। जो महिलाएं पढ़ने व लिखने की इच्छुक थीं उनका समर्थन किया गया व उन्हें प्रोत्साहन दिया गया।

3. वाम मोर्चा सरकार की लक्ष्य प्राप्ति की लगन— सब लोगों की सहायता व सहयोग, के बिना; जिसकी के. सा. स. को आवश्यकता थी; परिणाम कुछ और होता। बेशक यह भी एक तथ्य है; जिसका टाईम्स ऑफ इंडिया ने उल्लेख भी किया है; कि अन्य राजनैतिक पार्टियों जैसे मालापुरम में मुस्लिम लीग ने योजना को कार्यान्वित करने में सहयोग दिया। रिपोर्ट के अनुसार मल्लपुरम जिले में, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है; मुस्लिम लीग की सहायता के बिना साक्षरता का यह स्तर हासिल नहीं किया जा सकता था। यह स्वागत योग्य तथ्य है कि एक मुस्लिम लीग जैसी संस्था महिलाओं को आगे आने में मदद कर रही है। 290 लाख की आबादी में से 28.50 लाख लोग निरक्षर थे। साक्षरता मिशन ने 6 से 60 वर्ष के बीच के लोगों को पढ़ाने का फैसला किया जिसका अर्थ होता था 22.8 लाख लोग। जिन लोगों ने पढ़ना व लिखना सीखा या उनका बाद में इम्तहान हुआ, जिसे पास करने के लिए यह आवश्यक था कि वे कुछ पंक्तियां पढ़ें व कुछ शब्द लिखें।

टाइम्स ऑफ इंडिया में उल्लिखित घटनाओं को पढ़ कर गर्व भी होता है और अफसोस भी। सरोजिनी, एक घरेलू नौकरानी, को इस बात पर गर्व था कि अब वह पढ़ सकती है तथा अधिक वेतन की मांग कर सकती है। साक्षर होने के बाद एक महिला ने कहा कि अब वह समझ गयी है कि उसके पति ने उसे क्यों छोड़ा।

ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण एक मछुआरे का है, जो हालांकि स्वयं कक्षा में जाने का समय नहीं निकाल सका परन्तु उसने अपनी पत्नी को कक्षा में भर्ती कराया तथा वह बच्चों की जिम्मेदारी खुद लेकर अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए प्रेरित करता था। वर्तमान समाज व्यवस्था में यह एक दुर्लभ घटना है। खाड़ी में कार्यरत एक व्यक्ति विवाह के दस वर्ष पश्चात् अपनी पत्नी के हाथ से लिखा हुआ पत्र पाकर फूला न समाया। 'कुष्ठ गृह' में रह रही एक महिला से जब बात की गयी तो उसके आंसू बह पड़े। उसने कहा कि यद्यपि कुष्ठ रोग के कारण उसकी अंगुलियाँ बेकार हो गयी हैं और वह लिख नहीं सकती परन्तु वह पढ़ सकती है। एक अन्य महिला ने कहा कि मैं मतदान करना जानती हूं। अब मैं नाम पढ़ भी सकती हूं सच तो यह है कि एक अनपढ़ व्यक्ति की भावनाओं को समझने के लिए व्यक्ति को एक निरक्षर की भांति सोचना होगा। अब इन सभी को गर्व है कि वे पढ़ और लिख सकते हैं। ये सभी लोग मजदूर-किसान हैं, जिनके पास बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। के. सा. स. का प्रयोजन वाम मोर्चा सरकार ने किया तथा का. ई. के. नयनार स्वयं इसके चेयरमैन थे। सभी प्रमुख राजनैतिक पार्टियाँ

व संगठन इसमें शामिल थे। महिला संगठनों की एक प्रमुख भूमिका थी क्योंकि वे मुस्लिम महिलाओं व अन्य तबकों से संपर्क कर सकती हैं।

रिपोर्ट के अनुसार इस काम में कुछ बाधाएं थीं। जमींदारों तथा ठेकेदारों जैसे उच्च वर्गों के वर्गहित तथा परिवार के पुरुष सदस्यों का रवैया रुकावट पहुंचाने वाला था। एक स्कूल के मुख्यअध्यापक को भय था कि बच्चों को उसके स्तर तक शिक्षित कर दिया जायेगा क्या होगा। कर्नाटक सीमा के समीप के कुछ बंधुआ मजदूर आगे आने से भयभीत थे। एक जमींदार को समिति का चेयरमैन बनाना पड़ा क्योंकि इसके बिना वह अपने मकान का इस्तेमाल कक्षाएं लगाने के लिए करने देने को तैयार नहीं था।

आम जनता, मजदूर व किसान वर्ग द्वारा प्रकट की गयी रूचि, सभी संबंद्ध पार्टियों का सहयोग तथा जहाँ कहीं संभव हुआ वहां सांस्कृतिक संगठनों के सहयोग के कारण ही ऐसे सफल परिणाम हासिल किये जा सके हैं। इस पर न केवल केरल के लोगों को गर्व है बल्कि देश के अन्य वंचित तबकों को भी इस जानकारी से प्रसन्नता होगी। हम एक बार फिर ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. तथा सीटू की ओर से केरल की जनता को अपनी मुबारकबाद भेजते हैं।

ए.आई.आई.ई.ए. महिला सम्मेलन

वाराणसी

कटक में हुए चौदहवें आम सम्मेलन के फैसले के आधार पर वाराणसी क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न महिला कर्मचारियों का सम्मेलन 16 जनवरी, 1991 को क्षेत्रीय कार्यालय के प्रांगण में हुआ। 33 महिला कर्मचारियों ने सम्मेलन में भाग लिया जिसकी अध्यक्षता वी.डी.आई.ई.ए. के अध्यक्ष का. रामपाल सिंह ने की।

चर्चा का आरम्भ ए.आई.आई.ई.ए. के उपाध्यक्ष का. रामजी राम ने किया। उन्होंने सम्मेलन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए संस्था के रोज के कामकाज में महिलाओं की सक्रिय भागेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कटक सम्मेलन महिलाओं के विशेष अधिवेशन के बारे भी बताया, तथा बहस मे महिलाओं की उत्साहवर्धक भागेदारी की भी चर्चा की।

सम्मेलन में भाग ले रही महिला सदस्यों ने अपनी समस्याओं की चर्चा की तथा भविष्य में पूरे सहयोग का वादा किया।

क्षेत्रीय सम्मेलन के लिए सदस्यों के चुनाव के लिए अलग क्षेत्र निर्धारित करने का फैसला किया गया ताकि उन्हें विभागीय संगठन की आम सभा में प्रर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। इससे उन्हें आन्दोलन की मुख्य धारा से जुड़ने में भी सहायता मिलेगी। सम्मेलन ने का. श्रीमती बी. मोहनम्बल को कनवीनर चुना।

नासिक

जैसा कि कटक सम्मेलन में सभी स्तरों पर कामगार महिलाओं को ए.आई.आई.ई.ए. के बैनर तले संगठित करने का फैसला किया गया था, उसके अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में एक शुरुआत की गयी। बीमा कर्मचारी संगठन नासिक ने डब्ल्यू.जेड.आई.ई.ए., बम्बई, ने 26 जनवरी 1991 को नासिक में एक सम्मेलन किया। इसमें महाराष्ट्र व गोवा की महिला प्रतिनिधि शामिल हुईं। सम्मेलन में नासिक, बम्बई, पुणे, सतारा, नागपुर, अमरावती तथा गोवा विभागों से लगभग 50 प्रतिनिधि आयीं। सम्मेलन का दिशानिर्देशक का. ए. एस. देव (महासचिव, डब्ल्यू. जेड.आई.ई.ए.), श्रीधरदेशपांडे (महासचिव बीमा कर्मचारी संगठन), ने सदस्यों का स्वागत किया। श्रीमती सुमति झेंडे ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन की सभी तैयारियां बीमा कर्मचारी की महिला सदस्यों ने किया।

भाग ले रहे विभागों से कुल 16 प्रतिनिधि सम्मेलन में बोलीं। वक्ताओं के भाषणों ऐसा आभास मिला कि महिलाओं में सगठनात्मक जागरुकता बढ़ रही है। यह सुझाव दिया गया कि सभी महिलाएं यूनियन के काम के लिए रोज कुछ समय निकालना चाहिए। ब्रांच तथा विभागीय समितियों में महिलाएं हों। संगठन जीवत तथा मजबूत बनाने के लिए इलाकावार मीटिंगें होनी चाहिए। भाषणों में गर्भावस्था अवकाश, क्रेच, अलग शौचालय, विवाद व परिवार की समस्याओं जैसे आम मुद्दे भी उठे।

आई.ई.ए.बम्बई, आई.ई.यू. पुणे तथा कु. रजनी लालवानी (नासिक) ने संस्था के कामकाज के लिए क्रमशः 250/-, 100/- और 501/- रु० दिए।

आंगनवाड़ी फेडरेशन की इकाइयों से अपील

[निम्नलिखित परिपत्र आंगनवाड़ी कामगारों व सहायकों की फेडरेशन की अध्यक्ष द्वारा 10 अप्रैल 1991 को जारी किया गया।]

प्रिय कॉमरेड,

रैली के पश्चात् 4 मार्च 1991 को सीटू के केन्द्रीय कार्यालय में फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई।

इस बैठक में संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा प्रायोजित बोट क्लब रैली के कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की गयी। कई महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे संगठनात्मक कमजोरियां (कुछ राज्यों का भाग न लेना) पर भी विचार किया गया।

बैठक में संतोष प्रकट किया गया कि कई समस्याओं के बावजूद कुल मिला कर रैली प्रभावशाली सिद्ध हुई तथा राष्ट्रीय प्रेस ने भी रैली तथा जुलूस की तस्वीरें छाप कर इसे पर्याप्त प्रचार किया।

प्रबंध आदि पर संतोष प्रकट करते हुए बैठक में आवश्यक वादों पर हुए खर्चे के लिए धन एकत्र करने के तरीकों पर भी विचार किया गया। फिलहाल ये पैसा सीटू से उधार लिया गया था।

संघर्ष समिति की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार 20,000 सदस्यों के रुकने की व्यवस्था पर तीन लाख रुपया खर्च हुआ था। हमारी फेडरेशन को पांच लाख सदस्यों के ठहरने की व्यवस्था करनी थी। इसके लिए हमें 82,000 रु० की आवश्यकता थी। 5000/- की आवश्यकता मीटिंग, पोस्टर, प्रेस सम्मेलन आदि के लिए थी। इसके अतिरिक्त 2000 रु० टैक्सी आदि तथा अन्य फुटकर चीजों पर खर्च हुए। इस प्रकार हमें कुल 90,000 रु० खर्च करने पर उसमें से 20,000 सदस्यों से इकट्ठा किया गया था। अतः शेष 70,000 इकट्ठा करके सीटू को वापस करना है।

अतः मीटिंग में फैसला किया गया कि राज्यों की यूनियनें फण्ड इकट्ठा करके जल्द से जल्द केन्द्र को भेजें। प्रत्येक सदस्य से 1 रु० लेने का फैसला किया गया है।

अतः मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जितना जल्द संभव हो धन एकत्र करके केन्द्र के पास जमा करा दें। कृपया मुझे सूचना देते हुए ड्राफ्ट तथा मनी ऑर्डर सीटू को भेज दिए जायें।

'कामकाजी महिला' के एजेंट कृपया ध्यान दें

सीटू के सचिव मंडल ने 12-13 फरवरी 1991 को कलकत्ता में हुए तीसरे सम्मेलन पर एक विशेष पुस्तक निकालने का फैसला किया है। इसके सचिव द्वारा प्रस्तुत सम्मेलन की रिपोर्ट, विचारविमर्श, क्रडेंशियल कमेटी की रिपोर्ट तथा नए राज्य समिति सदस्यों के नाम होंगे। पुस्तक में कलकत्ता में लिए गए चित्र होंगे।

जो लोग इसकी प्रतियां लेना चाहें वे अपने आदेश केन्द्र को भेज दें, क्योंकि उसके आधार पर ही हम छपाई का आदेश देंगे। कृपया समिति से संपर्क करके सूचना दें। कीमत बाद में बतायी जायगी। जिन लोगों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी है वे कृपया शीघ्र भेज दें।

विमल रणदिवे, सचिव

नर्सों के संघर्ष के समर्थन में ए.आइ.सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. ने निम्न वक्तव्य जारी किया:

कामगार महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (सीटू) एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा अकेले में पाकर एक नर्स के साथ; गुरु नानक नेत्र केन्द्र में; यौन छेड़-छाड़ किए जाने की निन्दा करती है।

पता चला है कि वह व्यक्ति अब पुलिस हिरासत में है तथा दिल्ली प्रशासन ने नर्सों को आश्वासन दिया है कि अब प्रत्येक वार्ड में दो नर्सें होंगी।

ए.आई.सी.सी.डब्ल्यू डब्ल्यू. नर्सों की मांगों का समर्थन करती है तथा दिल्ली प्रशासन से मांग करती है कि अपराधी के विरुद्ध तुरन्त कारंवाई करे ताकि ऐसे संस्थानों में भविष्य में इस तरह की घटनाएं न दोहराई जायें।

"अपनी मांगों के संबंध में स्टील उद्योग की नर्सों का ज्ञापन"

11 मार्च, 1991

चेयरमैन,
भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड,
इस्पात भवन,
लोधी रोड,
नई दिल्ली—110.003.
विषय :

स्टील उद्योग चिकित्सालयों से संबंध नर्सों की समस्याएं

भारतीय स्टील प्राधिकरण के चिकित्सालयों में कार्यरत 1300 से अधिक नर्सों की अनेक शिकायतें हैं, जिनकी ओर कई वर्षों से प्रबंधकों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वे लगातार निष्ठापूर्वक काम करती रही हैं, लेकिन, उनकी वैध शिकायतों की संख्या को बढ़ने दिया जाता रहा है, जिससे उनमें असंतोष पैदा हो रहा है।

अतः हम आपका ध्यान उस ओर आकर्षित कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि आप उस मामले को देखेंगे तथा नर्सों की शिकायतों को तुरन्त दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे।

1. अंतर्राष्ट्रीय शर्तों के अनुसार सभी स्टील उद्योग चिकित्सालयों में नर्स-मरीज़ अनुपात 3:1 होना चाहिये। इसके लिए अस्पताल में उपलब्ध कुल बिस्तरों की संख्या को ध्यान में रखना होगा।

2. नर्सों के वर्तमान वेतनमान उनकी योग्यताओं तथा उनके पेशे में सन्निहित जिम्मेदारियों के अनुरूप नहीं है। नर्सों की विभिन्न श्रेणियों को उच्चतर वेतनमान यानि नं. 7, न. 8, नं. 9 दिये जाने चाहिये। ट्रेनी नर्सों को दिया जाने वाला भत्ता कम से कम एस.ओ.टी. के समकक्ष होना चाहिये।

3. वर्दी भत्ता बढ़ाकर 1500/- किया जाना चाहिये।

4. धुलाई भत्ता बढ़ाकर 100/- किया जाना चाहिये।

5. नर्स भत्ता (भोजन व्यय, असमय ड्यूटी, 48 घंटे की ड्यूटी आदि समेत) 200/- होना चाहिये।

6. नर्सों को आवास तथा आवागमन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये।

7. नर्सों को लिपिकीय व अन्य फुटकर कामों से छुट्टी दी जानी चाहिये। प्रत्येक वार्ड में वार्ड मास्टर तथा लिपिकीय सहायक का पद बनाया जाना चाहिए।

8. नर्सों को आगे पढ़ाई की पूरी सुविधा होनी चाहिए तथा उन्हें दो और इंक्रीमेंट की सुविधा दी जानी चाहिये।

9. नर्सों को विवाहोपरान्त भी अपने संबंधियों के लिए चिकित्सकीय सुविधाएं मिलती रहनी चाहिये।

10. सभी वार्डों में अटेंडेंट व सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था होनी चाहिये।

11. किसी भी अस्पताल में उपलब्ध बेहतर सुविधा को सभी अस्पतालों तक बढ़ाया जाना चाहिये।

12. प्रशिक्षण अवधि को वरिष्ठता के निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिये।

13. आई. एल. ओ. तथा डब्ल्यू. एच. ओ. (विश्व स्वास्थ्य संगठन) की सिफारिशों को नर्सों के लिए बेहतर कार्य स्थितियों तथा मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए अमल में लाया जाना चाहिये।

उल्लेखनीय है कि विगत् में हम इन शिकायतों को स्थानीय प्रबंधकों के सामने रखते आये हैं, परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। अन्तिम प्रयास के रूप में हम में शिकायतें आपके समक्ष रख रहे हैं।

हमें उम्मीद है कि आप इस विषय में आवश्यक कदम उठायेंगे।

सधन्यवाद, भवदीय

दीपाली बोस-दुर्गापुर
गौरी भट्टाचार्जी-दुर्गापुर
गीता मुखर्जी-बर्नर स्टील
अर्चना सेन गुप्ता-बर्नर स्टील
कल्याणी दास-राउरकेला स्टील
उर्मिला वॉग-राउरकेला स्टील

महिला सांसदों की भूमिका

'आरक्षण' 1991 के आम चुनावों का प्रतीक चिह्न हो गया है। वी.पी. सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण देने के बाद कोई राजनैतिक पार्टी मंडल आयोग की रिपोर्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकती।

हालांकि सभी राजनैतिक पार्टियों के घोषणापत्रों में महिलाओं व बच्चों के उत्थान की योजनाएं हैं लेकिन महिलाओं को अधिकतम प्रतिनिधित्व देने का मुद्दा मंडल लहर से दब ही गया है, और लगता है कि महिलाओं की नियति पिछड़ों में पीछे रहने की ही है।

चुनावी आंकड़े महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में निराशाजनक तस्वीर ही सामने लाते हैं। हालांकि विगत विजयलक्ष्मी पंडित तथा इन्दिरा गांधी जैसी प्रखर सांसद भी रही हैं। 1952 में केवल 14 महिला सांसद थीं। 1957 में 27, 1962 में 35, 1967 में 31, 1971 में 21, 1977 में 19, 1980 में 28, तथा 1984 में 42 महिला सांसद थीं। 1984 के बाद फिर महिला सांसदों की संख्या में कमी आई तथा 1989 में 198 महिलाओं ने चुनाव लड़ा जिनमें से मात्र 27 सांसद बनीं।

1991 की मतगणना से जाहिर हुआ है कि इस वर्ष महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है, लेकिन इसका कोई प्रभाव महिला सांसदों की संख्या पर पड़ेगा या नहीं यह अभी नहीं कह जा सकता।

अब तक केवल कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी रही है जिसने अधिकतम महिलाओं को चुनाव लड़ाया है तथा जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का गर्व कर सकती है। लेकिन इसका महिलाओं में सीट वितरण पर कोई असर नहीं पड़ा। हाल में आये चुनाव घोषणा-पत्र में भी कांग्रेस को 30 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है लेकिन यह केवल पंचायती राज तथा अन्य वैधानिक संगठनों में ही है। चुनावों में नहीं।

1989 में जनता दल में 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं को देने की घोषणा की लेकिन केवल पांच महिलाओं को ही टिकट दिया गया। एक वरिष्ठ पार्टी सदस्य ने इसकी वजह यह बतायी कि चुनाव लड़ने की इच्छुक महिलाओं की संख्या कम थी। इस वर्ष भी 1991 के घोषणा पत्र के विमोचन के समय वी पी सिंह ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पार्टी में महिलाओं की संख्या के अनुसार वे महिलाओं को अधिक सीटें दिलवायेंगे। एक पार्टी जिसने पूरे भारतवर्ष में दलित और पिछड़े वर्गों को सफलतापूर्वक संगठित किया है, उसके लिए राजनैतिक तथा सामाजिक रूप से जागरूक महिलाओं को अपने साथ जोड़ना कठिन नहीं होना चाहिये।

अधिक विस्तार में जाने के लिए 1989 के चुनावों की पार्टीगत लिस्ट देखी जा सकती है। जिसमें कुल प्रत्याशियों तथा महिला प्रत्याशियों की संख्या निम्नरूप है: कांग्रेस: 510-56 जनता दल 244-5, भाजपा 226-10 सी. पी. एम. 69-3, भाकपा 42-2 आश्चर्यजनक रूप से बी.एस.पी. जो कि अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की पार्टी है महिला उम्मीदवारों के मामले में कांग्रेस के बाद दूसरे नम्बर पर आती है। इसकी 13 महिला प्रत्याशी थीं। दूसरी ओर प्रगतिशील वामपंथी पार्टियां इस मामले में बहुत पीछे हैं। हालांकि इस वर्ष वाम मोर्चे ने 21 महिला प्रत्याशियों को खड़ा करने के अपने फैसले की घोषणा की है।

राजस्थान ने अब तक देश को पांच महिला सांसद दी हैं हालांकि यह राज्य रूढ़िवाद से ग्रस्त है तथा साक्षरता का स्तर भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि ये महिला सांसद या तो शक्तिशाली नेता थीं अथवा किसी शाही घराने से संबंध रखती थीं। उन पाँच महिला सांसदों में से एक भूतपूर्व महारानी थी (गायत्री देवी) तथा दूसरी ठकुराइन (मोहनलाल सुखाड़िया की विधवा) थी।

सभी महिला सांसदों ने महिलाओं के मुद्दे उठाने की ओर ध्यान नहीं दिया है। इसके विपरीत इन्दिरा सरकार की मंत्री मार्ग्रेट अल्वा ने मुस्लिम महिला बिल का विरोध नहीं किया हालांकि वे महिला आन्दोलन से गहराई से जुड़ी हुई थीं। विजयराजे सिंधिया सती प्रथा की मुखर समर्थक हैं।

राजनीतिक पार्टियों में महिलाओं की भूमिका प्रायः नगण्य रही है। 1986 में प्रमिला दंडवते के नेतृत्व में जनता दल की महिलाओं ने कल्याण सिंह कालवी द्वारा 'सती'

का समर्थन करने का विरोध किया था। लेकिन उनकी इस्तीफे की धमकी भी कालवी को पार्टी से निकलवा नहीं सकी। वे सांसद बने और बाद में चन्द्रशेखर सरकार में मंत्री भी बनाये गये।

इसकी तुलना में वाम पार्टियों की गीता मुखर्जी तथा सुशीला गोपालन ने न केवल दहेज विरोधी कानून लागू न किये जाने के खिलाफ संघर्ष किया बल्कि रेप व दहेज से संबंध रखने वाले कानूनों में संशोधन के लिए भी काम किया।

मजेदार तथ्य यह है कि 1989 की 198 महिला प्रत्याशियों में से 82 निर्दलीय थीं। इससे बहुत से राजनीतिज्ञों की यह बात गलत साबित होती है कि चुनाव लड़ने की इच्छुक महिलाओं की संख्या कम है।

ए पी आइ

पंजाब में १८० दिन के गर्भावस्था अवकाश की स्वीकृति

हमारे कार्यालय बड़ी संख्या में ऐसे पत्र आ रहे हैं जिनमें जानकारी चाही गयीं हैं कि क्या पंजाब में महिलाओं को 6 माह का गर्भावस्था अवकाश मिलता है। हम अपने नेताओं के लिए पंजाब पुस्तिका द्वारा जारी निम्न परिपत्र प्रकाशित कर रहे हैं।—सं.

प्रति—

विभागीय आयुक्त व रजिस्ट्रार,
पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय,
जिला व सेशन जज तथा राज्यों के उपायुक्त।

विषय : पंजाब सी. एस. आर. खंड—1;
के निशन 8.127 (अ) के अन्तर्गत गर्भावस्था अवकाश की स्वीकृति संबंधी स्पष्टीकरण।

महोदय,

मुझे पंजाब सरकार के वित्त मंत्रालय के परिपत्र संख्या 2-2-1990-3 एफ. पी. II 7120, दिनांक 17 अगस्त 1990 के सबंध में यह स्पष्ट करने का आदेश हुआ है कि पंजाब सी.एस.आर. खंड-1, भाग 1 के अनुसार महिला कर्मचारी तब तक गर्भावस्था अवकाश ले सकती हैं, जब तक कि आवेदन के समय तक उनके तीन जीवित बच्चे न हों।

2. कुछ हलकों में ऐसा सन्देह प्रकट किया गया है कि क्या उपर्युक्त परिपत्र से वित्त विभाग के पत्र संख्या 10-77-88 एफ. पी. आई. / 10304, दिनांक 24-11-1988 का यह फैसला निरस्त हो जाता है कि बिना किसी चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के गर्भावस्था अवकाश की अधिकतम सीमा 150 दिन होगी। क्योंकि नियम 8.127 (अ) कहता है कि साधारणतया गर्भावस्था अवकाश की अवधि तीन माह से अधिक नहीं हो सकती।

3. यह स्पष्ट किया जाता है दि. 24-11-88 के पत्र का निर्णय यथावत् है तथा महिला कर्मचारियों के लिए गर्भावस्था अवकाश की अधिकतम सीमा (बिना चिकित्सकीय प्रमाण पत्र) के 180 दिन ही रहेगी।

4. उपर्युक्त फैसले की जानकारी सभी संबंधित लोगों को पहुंचाई जा सकती है।

भवदीय—

(समजोति सरूप)
उप वित्त सचिव

विकास की नयी दिशा

7 अप्रैल 1990 को एक असाधारण कांग्रेस में चेकोस्लोवाकियन महिला संघ को भंग किया गया। चेकोस्लोवाकियन महिला संघ दो संघीय संगठनों के लिए एक पत्र की भांति या एक—चेक महिला संघ तथा दूसरा स्लोवाम महिला संघ (अब स्लोवाकिया लोकतांत्रिक महिला संघ) मार्च 1990 में हुई कांग्रेस के फैसले के अनुसार अब दोनों संगठन स्वतंत्र हो गये हैं। स्वतंत्रता की घोषणा का अर्थ चेकोस्लोवाकियन महिला संघ की डब्ल्यू.आई.डी.एफ. की सदस्यता का अंत है।

लेकिन चेकोस्लोवाकियन महिला संघ की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के फलस्वरूप दोनों संघों ने बने रहने तथा बाह्य संबंध विकसित करने का फैसला किया।

असाधारण कांग्रेस ने एक तैयारी समिति मनोनीत की है। इस समिति पर एक खुले समन्वय संगठन की स्थापना की जिम्मेदारी है। यह समन्वयात्मक संगठन सी.डब्ल्यू.यू. तथा डी.यू.डब्ल्यू.एस. आदि सभी महिला संघों का संघीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करेगा तथा डब्ल्यू.आई.डी.एफ. के अधिकारों व कर्तव्यों का भी प्रतिनिधित्व करेगा।

इसी वर्ष पहले सी.एस.डब्ल्यू.यू. में भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि तथा तैयारी समिति की वर्तमान सदस्य इवा मिकाविका ने अपने देश के राजनैतिक घटनाचक्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भविष्य के लिए अपनी आशाएं व आशंकाएं प्रकट की थी।

"जहाँ तक लोकतंत्रीकरण की भावना का संबंध है, मैं अपने देश के घटनाचक्र से प्रसन्न हूँ। साथ ही लम्बे अरसे से निष्क्रय जनता में भी सक्रियता आयी है। दूसरी ओर, मैं इस बात से चिंतित हूँ कि हमारे यहाँ महिलाओं की बात नहीं सुनी जा रही है, हालांकि उन्हें राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों का लम्बा अनुभव है। इससे मुझे महिलाओं की नयी पीढ़ी के लिए चिन्ता होती है।"

"मुझे यह देखकर अफसोस होता है कि प्रमुख राजनीतिक ढांचों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। संघीय सरकार में केवल एक महिला है अब हमारे महिला संगठन ने छह महिलाओं की सिफारिश की है, जिन्हें हम मंत्री पद के लिए योग्य और समर्थ समझेंगे। अपनी संसद के पुर्नगठन के बाद भी अधिक महिलाएं दिखाई नहीं देतीं। तेजी से बदलते हुए इस घटनाचक्र में संसद व सरकारी संस्थाएं महिलाओं के मुद्दों पर नहीं सोचतीं।

सरकार के मंत्रियों तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों से हमारी बात हुई तथा ऐसा लगता है कि हमारी कुछ मांगों पर विचार किया जायेगा। फिलहाल हमारी मांगें यह हैं : गर्भावस्था अवकाश को दो सप्ताह बढ़ाया जाना, छुट्टियाँ बढ़ाना (जिन अभिभावकों के छोटे बच्चे हैं उनके लिए यह एक लम्बे समय से चली आ रही समस्या है। उन्हें गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के साथ रहने में काफी समस्या आती है।) हमने सबके लिए कार्य-सप्ताह को छोटा करने; $42\frac{1}{2}$ घंटे से घटाकर 40 घंटे करने की भी मांग की है। हमने युवाओं के लिए मिलिटरी सेवाएं घटाकर 24 माह से 12 माह तथा छात्रों के लिए 12 माह से 6 माह करने का समर्थन किया है।

"अब चेकोस्लोवाकिया में अन्य महिला संगठन, जैसे, महिलाओं की राजनैतिक पार्टी, भी सामने आ रहे हैं। यह हमारे संगठन अथवा किसी अन्य संगठन से स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे बीच एक संवाद स्थापित हो चुका है, और हम समझते हैं कि हम लोग मिलकर अपनी संसद, संघीय-असेंबली के आगामी चुनावों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।"

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 2 रुपये

वार्षिक चन्दा : 10 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 6, ताल कटोरा रोड

नई दिल्ली-110001

"ए. सी. एफ. टी. यू. द्वारा चीनी महिला कामगारों की राष्ट्रीय समिति की स्थापना"

9 दिसंबर 1991 को ए. सी. एफ. टी. यू. (चीनी श्रमिक संघों का फेडरेशन) के आठवें अधिवेशन में ग्यारहवें अध्यक्ष मंडल ने कामकार महिलाओं की एक राष्ट्रीय समिति बनाने का फैसला किया।

हाल के वर्षों में स्थानीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने देश भर में सभी स्तरों पर महिला कामगारों के संगठनों को स्थापित किया व उनको मजबूती प्रदान की। साथ ही महिला कामगारों को प्रशिक्षण दिया व उनकी संख्या भी बढ़ाई। ये संगठन महिला कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए कठोर श्रम करते हैं तथा उनकी समस्याओं की पड़ताल करते हुए संबंधित अधिकारियों से उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग करते हैं।

ए. सी. एफ. टी. यू. के नेतृत्व में नव-निर्मित राष्ट्रीय समिति महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके वैध अधिकारों व विशेष हितों की रक्षा भी करेगी। समिति में विभिन्न कार्यक्षेत्रों के ट्रेड यूनियन काउंसिलों की समितियों के चेयरमैन स्वायत्त क्षेत्रों तथा म्यूनिसिपैलिटियों के चेयरमैन, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय औद्योगिक श्रमिक नेता, सरकारी क्षेत्रों के श्रमिक नेता, जानीमानी विभूतियाँ तथा आदर्श महिला कार्यकर्ता शामिल हैं।

चीन में 50 मिलियन महिला कामगार हैं जो कि वहाँ की कुल श्रम शक्ति का 37 प्रतिशत है।

जापान में महिला उद्यमियों की संख्या बढ़कर 16,150,000 हो गयी है जो कुल संख्या का 36 प्रतिशत है। एल डी पी सरकार तथा इजारेदारों के हमलों के कारण उन्हें निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है :

लेबर स्टैंडर्ड कानून में 1985 में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये। काम के घंटों, रात्रि को काम, छुट्टियों में काम, खतरनाक काम में नौकरियां देना अब आसान बन गया है। 1988 में नयी लचीली कार्य प्रणाली के आगमन के बाद महिलाओं ने अपनी स्थिति को खराब होता पाया। स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए रात में काम करना मजबूरी है। लेकिन अधिकतम शिफ्ट (आठ) की सीमा व कम से कम दो सदस्यों की टीम की बंदिश भी समाप्त कर दी गयी। 60 प्रतिशत कर्मचारियों का कहना है कि वे हमेशा थकान महसूस करती हैं। अधिक कार्य-भार के कारण मृत्यु, अचानक मृत्यु, गर्भस्रवण, आदि की घटनाएँ बढ़ी हैं। असामान्य प्रसूति की घटनाएं बढ़ी हैं व यह दर 70 प्रतिशत हो गयी है।

इसके अलावा नयी तकनीक के आगमन से तथा कंप्यूटर व वी डी आई के माध्यम से काम होने से नये तरह की बीमारियाँ जैसे नजर कमजोर होना, कंधों में दर्द, गर्दन व बांहों में दर्द तथा मानसिक तनाव आदि बढ़ी हैं।

महिला उद्यमियों के समानता के लिए संघर्ष के परिणामस्वरूप 1985 में 'समान रोजगार सुविधा कानून' के तहत, भेद-भाव समाप्त किया गया लेकिन यौन भेद व छेड़-छाड़ जो कि जापानी महिलाओं की प्रमुख समस्या है, अभी भी जारी है। बड़ी कम्पनियों ने हर कर्मचारी के लिए निजी प्रबन्धन व्यवस्था लागू की है। दूरस्थ इलाकों में तबादलों को स्वीकारने की तत्परता के आधार पर महिला उद्यमियों को श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जो उद्यमी उन्हें स्वीकार कर लेती हैं उन्हें अधिक तनख्वाह प्रदान की जाती है। चूंकि अधिकतर महिला उद्यमियों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है अतः उन्हें हमेशा वेतन, पदोन्नति व कार्यस्थितियों के संबंध में भेद-भाव का शिकार होना पड़ता है।

चुनाव के लिए महिलाओं से अपील : धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र व अपने अधिकारों के लिए वोट दें

विमल रणदिवे

हमारे देश की जनता से मई 1991 में संसदीय चुनाओं के लिए राजनैतिक पार्टियों को वोट देने को कहा गया है। 1-2 वर्षों के दौरान हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले कई मुद्दे उभरकर आये जिन पर महिलाओं को अपनी राय जाहिर करनी हैं। राजनैतिक पार्टियों के चुनाव घोषणापत्र में इस बात का उल्लेख है कि सत्ता में आने के बाद महिलाओं के लिए क्या करेंगी।

कांग्रेस (ई) के चुनाव घोषणापत्र में इन्दिरा महिला योजना, महिलाओं के लिए अन्य योजनाएं, समान वेतन तथा विकास प्राधिकरण, पुरुष व महिलाओं के लिए 100 दिन में रोजगार तथा धुएं रहित चूल्हे आदि का वादा किया गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के नाम अथवा सम्मिलित रूप में जमीन के पट्टे की बात भी कही गयी है।

कभी-कभी आश्चर्य होता है कि ये बुर्जुआ पार्टियां महिलाओं के बारे में क्या सोचती हैं। क्या उन्हें वादे करने और उन्हें निभाने के बीच के अन्तर का कोई खयाल नहीं है? क्या वे नहीं जानतीं कि पिछले कई वर्षों से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं? क्या दहेज-हत्याएं घटी है? क्या हरिजनों व अन्य महिलाओं से छेड़छाड़ तथा रेप की घटनाएं कम हुई हैं? कामगार महिलाओं को यह पूछने का अधिकार है कि 14 वर्ष पहले इन्दिरा गांधी के शासनकाल में 'समान वेतन अधिनियम 1976' में पास हो जाने के बावजूद उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन क्यों दिया जा रहा है। कितनी महिलाओं को रोजगार मिला? महिलाओं के लिए एक योजना कांग्रेस(ई) द्वारा प्रकाशित करके महिलाओं व आम जनता के बीच प्रचारित की गयी थी। क्या कोई प्रगति हुई है?

मूल्य-वृद्धि

अब मूल्य वृद्धि के मुद्दे को लिया जाये जिससे महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। परिवार को जितनी आय होती है, उसमें उन्हें किसी तरह काम चलना पड़ता है। कीमतें आसमान छूने लगी हैं। दूध, मिट्टी के तेल व खाने के तेल की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि से बहुत कठिनाइयां पैदा हुई हैं।

गेहूं, चीनी, चावल व सब्जियों आदि तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आम जनता की पहुंच से बाहर हो रही हैं। सभी पार्टियों को अपने घोषणापत्रों में यह बात स्वीकार करनी पड़ी है कि कीमतें बहुत बढ़ गयी हैं व उन्हें जल्द से जल्द कम किया जायेगा; कुछ ने तो तीन महीने में ऐसा करने का दावा किया है। क्या हम प्रणव मुखर्जी के इस दावे पर विश्वास कर सकते हैं कि उनकी पार्टी सत्ता में आने के 100 दिन के भीतर आवश्यक वस्तुओं की कीमत जुलाई 1990 के स्तर पर ले आयेगी। कांग्रेस के ऐसे प्रचार से कोई मूर्ख नहीं बन सकता। बस्तियों, मुहल्लों व गाँवों में महिला से जो पहला प्रश्न पूछती हैं वह कीमतों में वृद्धि व उन्हें कम करने के उपायों के बारे में ही है। बच्चों को पर्याप्त दूध नहीं मिल पा रहा है न ही उन्हें पर्याप्त गेहूं या चावल उपलब्ध हैं, मतदाताओं के लिए 'मूल्य-वृद्धि' प्रमुख मुद्दा बन गया है विशेषकर उन लोगों के लिए जो एक के बाद एक आने वाली सरकारों की नीतियों के फलस्वरूप बदहाली की अवस्था में पहुंच गये हैं।

गम्भीर आर्थिक संकट

महिलाओं की अधिकतर संख्या अशिक्षित है तथा वे गम्भीर आर्थिक संकट के कारणों को ठीक से नहीं जानतीं वे बढ़ी हुई कीमतों से इसके संबंध को नहीं समझ सकतीं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक, जिनसे कांग्रेस व चन्द्रशेखर ने भारी कर्ज लिये हैं; उन्हें अपनी शर्तें मानने को बाध्य करते हैं, जो आम जनता के हित में नहीं है। खाद्य पदार्थों के लिए सब्सिडी रोक दी गयी है। मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं में कमी की गयी है। विदेशी कर्ज 1,25,000 करोड़ से अधिक हो गया है। इस सब के अलावा हमारा अन्दरूनी कर्ज 2,40,000 करोड़ हो गया है। जबकि हमारा देश पहले ही विश्व

मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से बंधा हुआ है, चन्द्रशेखर सरकार विश्व मुद्रा कोष से ऋण की दूसरी किश्त के लिए बात कर रही थी। पिछले अनेक वर्षों में कांग्रेस सरकार ने मूल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की बजाय निजीकरण के लिए काम किया। नयी तकनीक लाने का अर्थ है कि लोगों को और रोजगार नहीं मिलेंगे। कई और फैक्ट्रियों के बन्द हो जाने से बेरोजगारी और बढ़ेगी। जब तक आत्मनिर्भरता के लिए नयी योजनाएं, अधिक रोजगार, नयी फैक्ट्रियाँ खोलने तथा भूमिसुधारों के लिए काम नहीं किया जायेगा, तब तक जनता कष्ट उठाने के लिए बाध्य रहेगी। कामगार महिलाएं इसका पहला शिकार होंगी।

चन्द्रशेखर सरकार का रोजगार का वादा

कामचलाऊ प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर ने 10 मिलियन रोजगारों, हर गांव में पीने का पानी तथा अशिक्षा को समाप्त करके 'जन-स्वराज्य' का वादा किया है। क्या कोई उनके इस वादे पर विश्वास कर सकता है। खुद उनकी पार्टी के सदस्यों को उन पर विश्वास नहीं है तथा वे दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, उनकी 58 सदस्यीय सरकार का कांग्रेस (ई) ने समर्थन किया है। उनकी पार्टी के शिखा नेता देवीलाल के समय-समय पर दिये वक्तव्य इसका प्रमुख कारण हैं। जनता दल (स) ने शिक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी मामले में महिलाओं को कोई महत्व नहीं दिया है।

माकपा ने अपने घोषणापत्र में सही ढंग से इस बात को उठाते हुए कहा है कि मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कड़े उपाय करने की आवश्कता है। अप्रत्यक्ष कर जो आम जनता को प्रभावित करते हैं; नहीं बढ़ाये जाने चाहिए। अनाज के मामले में सरकारी व्यापार तथा जन वितरण प्रणाली को 14 आवश्यक वस्तुओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि कालाबाजारी तथा जमाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाये जाने चाहिए। यदि वामपथी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार सत्ता में आती है तो माकपा सरकार पर दबाव डालने के लिए इन नीतियों पर संघर्ष करेंगी।

बेरोजगारी का प्रश्न

बेरोजगारी का प्रश्न महिलाओं सहित सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। लगभग 3.5 करोड़ शहरी लोग बेरोजगार हैं। लगभग 2,40,000 फैक्ट्रियाँ बन्द हैं कामगार महिलाएं स्थिति की पहली शिकार होती हैं क्योंकि मालिकों व सरकार को उन्हे गर्भावस्था अवकाश व क्रेच की सुविधाए देनी पड़ती हैं। दफ्तरों व उद्योगों में नयी तकनीक के आगमन पर सबसे पहले उन्हें ही निकाला जायेगा। आंकड़ों के अनुसार 1988 में रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में दर्ज महिला आंकाक्षियों की संख्या 57 लाख थी जिनमें से अनेक स्नातक इंजीनियर थीं। आंगनवाड़ी में 6 लाख महिलाओं को केवल 250-300 रु. तथा 110 रु. दिये जाते हैं। हजारों महिलाएं लघु उद्योगों में अस्थायी रूप से काम कर रही हैं, जिन्हें 5-10 रु. दैनिक से अधिक नहीं मिलते। ऐसी परिस्थितियों में एक करोड़ रोजगार पैदा करने या हर परिवार में एक महिला को रोजगार देने की जो बात इन्दिरा महिला योजना में कही गयी है उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। कांग्रेसी शासन का अनुभव ठीक उल्टा है। काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना आज के कामगार वर्ग की आधारभूत मांग है जिसे कांग्रेस (ई) ने मानने से इनकार कर दिया था। श्री वी पी सिंह तथा राष्ट्रीय मोर्चा ने उसे सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है।

हजारों महिलाएं इलैक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र व थैला, बनाने जैसे लघु-उद्योगों में अस्थाई रूप से 5-10 रु. प्रतिदिन पर काम कर रही हैं। अशिक्षित अथवा अर्द्धशिक्षित महिलाएं किसी प्रकार काम चलाने के लिए काम कर रही है; परिवार की स्थिति उन्हें मजबूर करती है कि वे कुछ काम करें जिससे कुछ आय हो। ऐसी महिलाएं काम की तलाश में हैं और काम आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा बिचौलिये कर आदि के लिए उनकी इस संक्षिप्त आय में से भी कटौती कर लेते हैं।

संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की संख्या 12 प्रतिशत भी नहीं है, लगभग सभी महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उनके लिए स्वास्थ्य व सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है तथा कार्यविधि आदि के संबंध में कोई कानून नहीं है। मुक्त व्यापार क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं का सही चित्र आई. एल. ओ. व बुर्जुआ प्रेस ने खींचा है जहां अधितर महिलाओं ने सुरक्षा व बेहतर वेतन की मांग की है। यूनियन न बनाने की शर्त पर ही उन्हें रोजगार दिया

जाता है।

जब तक शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक योजनाएं नहीं बनाई जाती तथा रोजगार कार्यालयों द्वारा पंजीकरण व भर्ती नहीं होती तब तक रोजगार संभव नहीं है। नयी भर्ती को रोकने वाला कानून वापस लेना होगा। यदि सरकार विदेशी ऋण पर आधारित अपनी आर्थिक नीति को बदलकर आत्मनिर्भरता को अपना उद्देश्य बना लेती है, तो इस समस्या से निकलने का कोई रास्ता मिल सकता है। उसके अभाव में बेरोजगारी भत्ते आदि की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जैसा कि अन्य पूंजीवादी देशों में किया जाता है।

प्रावधानों का लागू न होना

महिलाओं ने रोजगार, क्रेच तथा प्रावधानों को लागू करवाने के लिए तथा नयी मशीनरी से आयात के खिलाफ संघर्ष किया। लेकिन दुर्भाग्य से इस स्थिति में कोई ठोस परिवर्तन नहीं आया। एक के बाद एक आयी सरकारों द्वारा प्रावधानों को लागू करने की स्वीकृति एक धोखा ही निकली। अधिकतर दफ्तरों में जहां महिलाएं बड़ी संख्या में काम करतीं हैं, वहां क्रेच की सुविधा नहीं है। बीड़ी, कपड़ा तथा बागान उद्योगों में किसी सरकार ने मालिकों पर 'क्रेच' आदि की सुविधाएं प्रदान करने के लिए दबाव नहीं डाला। श्रममंत्रालय तथा नागरिक कल्याण मंत्रालय मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आजादी के बाद कई दशकों तक शासन करने वाली कांग्रेस का यह रवैया है। अनुपालन विभाग नाममात्र के हैं, वे कहीं काम नहीं करते। कई सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा हुई जिनमें सरकार व मालिकों ने अनेक वादे भी किये हैं, जिनको पूरा करने का उनका कोई इरादा नज़र नहीं आता।

महिलाओं से छेड़खानी व सती कांड

रूप कंवर को जलाये जाने के मुद्दे पर किसी भी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए था लेकिन सरकार को कालवी जैसे मंत्री को रखने में शर्म नहीं आयी। भाजपा की विजयाराजे सिंधिया को पति के साथ जलने के महिलाओं के नैतिक अधिकार की बात करते हुए शर्म महसूस नहीं हुई। गरीब असुरक्षित महिलाओं व लड़कियों की असमाजिक तत्वों द्वारा छेड़-छाड़ तथा हत्या की घटनाओं का कोई अन्त नहीं है। किसी जाति विशेष की लड़की किसी युवक से प्रेम अथवा शादी केवल इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वह निचली जाति का है। भ्रूण-हत्या के मध्य-प्रदेश व राजस्थान में सबसे अधिक होते हैं। हरिजन महिलाएं यदि वेतन बढ़ाने की मांग करें तो उन्हें जमींदारों के गुण्डों का निशाना बनना पड़ता है। यद्यपि ये बातें अविश्वसनीय हैं तथापि ये सही हैं। ए. आई. डी. डब्ल्यू. ए. तथा अन्य महिला संगठन आठ वर्ष की एक लड़की के केस को उच्चतम न्यायालय में ले गयीं जिसकी 1988 में उड़ीसा में रेप के बाद हत्या कर दी गयी थी। उच्चतम न्यायालय ने उसे मुक्त कर दिया ! यदि उच्चतम न्यायालय ही अर्थहीन हो जाता है तो सामान्य अदालत या सरकार की तो बात ही क्या है।

हरिजन महिलाओं को जमींदारों का खास निशाना बनना पड़ता है। इस किस्म के पतन को वर्ग संघर्ष में महिलाओं को हथियार बनाकर विज्ञापनों में महिलाओं को सेक्स का प्रतीक बनाकर पुष्ट किया जाता है। विमान परिचारिकाओं का उदाहरण सबके सामने है। सरकार द्वारा प्रकाशित छेड़-छाड़ व रेप के ताज़ातरीन आंकड़े सच्चाई-दर्शाते हैं। लेकिन महिला संगठनों व वामपंथी पार्टियों को छोड़कर कौन इसकी परवाह करता है। क्या जनता दल (स), भाजपा व कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा-पत्रों में उस बारे में कुछ कहा है। वर्तमान समाज में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि महिलाओं का स्थान घर के अन्दर है तथा उनका काम बच्चों की देख-भाल करना है। खुद समाजवादी देशों में भी महिलाएं अमरीका व पश्चिमी यूरोप से आई इस बुर्जुआ अवधारणा के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए आगे आयी हैं।

महिलाओं को आदर के साथ देखा जाना चाहिए तथा घर परिवार के बाहर भी उन्हें समाज में उनका सम्मान-जनक स्थान हासिल होना चाहिए। एक प्रतिनिधि सरकार को महिलाओं की हर प्रकार से सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आंकड़े व दोषियों को दी गयी सजाओं से एक अन्य कहानी उजागर होती है। महिलाएं दफ्तरों तथा होटलों आदि में ऐसी ही यौन लत का शिकार होती हैं। उन्हें सरकार से ऐसी स्थिति से सुरक्षा तथा न्याय की मांग करनी चाहिए।

त्रिपुरा में अतुलनीय अत्याचार

त्रिपुरा में पिछले 3-4 वर्ष के कांग्रेसी शासन में

बर्बर हत्याओं व रेप के अनेक मामले हुए हैं। उजान मैदान रेप कांड के बारे में सभी जानते हैं, तब से अब; दो साल बाद; तक। उस बारे में कुछ नहीं किया गया। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं व महिला संगठनों की आवाज को नहीं सुना। महिलाओं से छेड़-छाड़ की घटनाओं की सूची लम्बी होती जा रही है। कल्पना कीजिए कि एक कर्मचारी को खंभे से बांधकर उसी के सामने उसकी पत्नी के साथ कांग्रेसी गुंडों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। वे दोनों ही माकपा के व्यक्ति हैं। एस. एफ. आई. के एक चुनाव एजेंट के शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के बाद उसके हाथ काटकर उसकी मां के सामने ले जाये जाते हैं। जर्मन में नाजियों द्वारा किये गये अत्याचारों के अतिरिक्त क्या ऐसे अत्याचारों की कोई तुलना हो सकती है। महिलाएं कांग्रेस (ई) से पूछ रही है कि जब वे लगातार जांच की मांग कर रही हैं तो उन्होंने क्या किया ? त्रिपुरा की राजीव सरकार ने महिलाओं व महिला संगठनों की आवाज को नहीं सुना। संपूर्ण भारत की जनता इस अर्द्ध-फासीवादी आतंकवाद के विरुद्ध उठ खड़ी हुई तथा मजदूरों व मध्यमवर्गीय मजदूरों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, ने उनके समर्थन में आवाज उठायी। महिलाएं पूछेंगी कि क्या जनता पर ऐसी पार्टी को वोट दे जो महिलाओं व आदिवासियों पर ऐसे जुल्म को बढ़ावा देती है ? क्या स्थायित्व के नारे का अर्थ ऐसी घटनाओं की निरन्तरता है।

पश्चिम बंगाल व केरल में भूमि-वितरण

भारतीय भूमि सुधारों का इतिहास ग़रीबों को राहत देने की बजाय प्रावधानों पर अमल न करने के लिए जाना जाता है। प. बंगाल व केरल में भूमि-हीनों को जमीन का वितरण उदाहरण योग्य है। यह माकपा व वामपंथी पार्टियों की मूल नीति हैं। यदि इस जमीन में वे पैदावार कर सकें तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। देश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 3.6% हिस्सा प० बंगाल का है। 8.60 लाख एकड़ भूमि जमींदारों से लेकर 18.01 भूमिहीन किसानों को वितरित कर दी गई। महिलाओं को भी जमीन के पट्टे दिये गये। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन भूमिहीनों में से 9.70 लाख अनुसूचित जाति-जन जाति के हैं। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को समान वेतन मिल रहा है। महत्व की बात यह है कि महिलाओं के नाम जमीन के पट्टे किये जाने से वे गांवों में सम्मान जनक स्थान हासिल कर सकी हैं। आय के स्वतंत्र साधन से उनके सम्मान में वृद्धि हुई। पता चला है कि वहां पंचायत समितियों में अनेक महिलाएं हैं। ग्राम पंचायतों में महिलाओं की संख्या 52,529 में से 5,705, पंचायत समितियों में 9,127 में से 470 तथा जिला परिषद में 658 में से 24 है। ये महिलाएं गाँवों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प० बंगाल में वाम मोर्चे ने विधानसभा चुनावों के लिए 21 महिला प्रत्याशियों को खड़ा किया है।

केरल में भी, छोटे स्तर पर ही सही, भूमिहीनों में जमीन का वितरण हुआ। जिला परिषद में 30% महिलाएं चुनी गयीं अब गांव की प्रत्येक परियोजना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं को 30% आरक्षण का नारा, किसी कांग्रेसी राज्य में पूरा न होकर, केरल में पूरा हुआ। क्या कांग्रेस महिलाओं को पंचायत अथवा रोजगार में 30% आरक्षण देने के लिए गंभीर है। यही कारण है कि केरल में महिलाओं ने अधिक साक्षरता हासिल की तथा गांवों में भूमि वितरण का काम सुचारु रूप से हो रहा है।

महिलाएं तथा सांप्रदायिक स्थिति

महिलाएं देश में हो रहे सांप्रदायिक प्रचार के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। अशिक्षा उन्हें अंधकार में रखती है तथा वे आसानी से धार्मिक प्रचार का शिकार बन जाती हैं। यह बात सभी धर्मों की महिलाओं के बारे में सच है चाहे वे हिन्दू, मुस्लिम या ईसाई हों। भाजपा तथा मुस्लिम लीग जैसी राजनैतिक पार्टियाँ उनके इस पिछड़ेपन का लाभ उठाती हैं।

'राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद' का मुद्दा इन चुनावों का एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। जिस ढंग से उसका प्रचार किया गया है उससे धार्मिक उन्माद भड़काकर देश को बांटने की साजिस साफ जाहिर होती है। सभी धर्मों की राष्ट्रीय एकता खतरे में हैं। दुर्भाग्य से महिलाएं ऐसी स्थिति का पहला शिकार होती हैं। भाजपा-विहिप-आर. एस.एस. का सांप्रदादिक प्रचार देशभर में उनकी रथ-यात्रा अल्पसंख्यकों में भय उत्पन्न करने से तथा जगह-जगह हुए सांप्रदायिक दंगों से अल्पसंख्यकों का मन कड़ुवा हो गया

है। उस तथ्य को भुला दिया गया कि हिन्दू; मुस्लिम, सिखों व ईसाइयों की सम्मिलित कुर्बानियों की बदौलत ही भारत आजादी हासिल कर सका। पंजाब तथा कश्मीर की घटनाएं तथा सांप्रदायिक दंगे सारे देश के लिए चिन्ता का विषय हैं। क्या हम हिन्दू राष्ट्र चाहते हैं ? क्या धर्म के नाम पर अन्य सभी समुदायों को देश से निकाल देना चाहते हैं ! हर व्यक्ति को भारत में रहने और किसी भी धर्म में विश्वास रखने का अधिकार है। जहां भाजपा ने दंगे भड़काये वहीं कांग्रेस (ई) ने सारे देश में विघटनकारी ताकतों से समझौता कर लिया। अब कम से कम कांग्रेस के घोषणा पत्र में इतना कहा गया है कि यदि बातचीत से विवाद हल नहीं होता तो अदालत का फैसला मान्य होगा। कोई भी समझदार पुरुष अथवा स्त्री ऐसी पार्टियों के साथ नहीं हो सकती जिसने धर्म को अपने प्रचार का आधार बनाया हो। ये पार्टियां 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' विधेयक के खिलाफ थीं। पाकिस्तान में महिलाओं को बुरका पहनने को मजबूर किया गया और कश्मीर में भी यही हुआ। पंजाब में आतंकवादियों ने साड़ी पर रोक लगा दी।

पंजाब की स्थिति खराब हो रही है तथा चन्द्रशेखर सरकार उसे खराब होने दे रही है। प्रतिदिन हत्याओं की संख्या बढ़ती जा रही है तथा इनमें से अनेक माकपा कार्यकर्ता हैं जो शहीद हुए हैं। औसतन 15-20 लोगों की प्रतिदिन हत्या होती है। साम्राज्यवादी देशों व पाकिस्तान द्वारा समर्थित यह सांप्रदायिकता का जहर हमारे देश में फैलता ही जा रहा है। असम में 'उल्फा' अलग राज्य की मांग कर रही है।

चुनौती का सामना करना है

यह हम सबके लिए एक बड़ी चुनौती है तथा हमें इसका मुकाबला करना है तथा धर्मनिरपेक्षता व राष्ट्रीय एकता की रक्षा करनी है। हमें महिलाओं को समझाने में अधिक समय लग सकता है। सबसे अच्छा उदाहरण प. बंगाल व केरला का है जहां सांप्रदायिक सद्भाव बना रहा। जनता के सामने इन राज्यों का उदाहरण लाना होगा। मालिकों के खिलाफ संगठित वर्ग संघर्ष में सांप्रदायिकता की कोई भूमिका नहीं है। ऐसे उदाहरण हैं जहां दंगों के समय हिन्दू घरों में मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गयी। यह हमारी राष्ट्रीय परंपरा है तथा इसे सुदृढ़ करना होगा। महिलाओं को साथ लेना ही होगा तथा साम्राज्यवादी देशों की भूमिका का पर्दाफाश करना ही होगा। हम लोगों के साथ खेली गयी ब्रिटिश साम्राज्यवाद की 'फूट डालो और शासन करो नीति' को समझने की जरूरत है। सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्ग की महिलाओं तथा राष्ट्रीय एकता के आदर्श की रक्षा करते हुए तथा युवा पीढ़ी को साम्राज्यवाद-पूंजीवाद से नफरत करनी होगी।

स्थायित्व किसके लिए

स्थायित्व कांग्रेस (ई) का बहुप्रचारित नाम है। यदि स्थायित्व का अर्थ मूल्य-वृद्धि, महिलाओं से छेड़छाड़, हरिजनों पर अत्याचार तथा सांप्रदायिक विभाजन ही है तो ऐसे स्थायित्व का अनुभव हम पिछले 40 वर्षों से कर रहे हैं। कोई कांग्रेसी सरकार स्थायित्व के नाम पर जनता को राहत नहीं दे सकी। महिलाओं को ऐसे प्रचार से गुमराह नहीं होना चाहिये।

कांग्रेसी शासन की लम्बी अवधि में महिलाओं की स्थिति में कोई ठोस परिवर्तन नहीं आया, हालांकि उनमें राजनैतिक जागरूकता बढ़ी है। 30% आरक्षण तथा 100 प्रतिशत अत्याचार का नारा इस दफा काम नहीं करेगा। अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। संगठित क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार खतरे में है। कोई रोजगार सुरक्षा नहीं है। महिलाओं के बारे में वर्तमान सती वर्ग की विचार धारा के कारण सभी वर्गों की महिलाएं कष्ट उठा रही हैं।

कोई तानाशाह शासन नहीं

महिलाएं उस पार्टी को वोट नहीं देना चाहेंगी जिसने 1975 में आपातकाल घोषित किया तथा 1971-72 में प. बंगाल में व 1989 को त्रिपुरा में अर्द्धफासीवादी राज्य कायम किया। महिलाए उन्हें वोट नहीं देंगी जिन्होंने एक दिन में तमिलनाडु सरकार को बर्खास्त कर दिया। राष्ट्रीय मोर्चा ने अपने घोषणापत्र में पैतृक संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा दिलाने व विवाह, तलाक, सुरक्षा, आदि से सम्बधित भेद-भावपूर्ण कानूनों में परिवर्तन लाने का भी वादा किया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत हिस्सा दिलाने का भी प्रयास किया

जायेगा ।

मतदान का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है तथा इसका उपयोग सोच-समझकर किया जाना चाहिये । बहुत से लोग यह कह सकते हैं कि वोट का क्या महत्व है तथा वे मतदान के लिए नहीं जा सकते । ऐसी स्थिति में कोई और उनकी जगह वोट डाल सकता है हम महिलाओं से खासकर कामकाजी महिलाओं से अपील करते हैं कि वे अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वोट दें । महिलाओं ने दफ्तरों व फैक्ट्रियों में वर्गहित की लड़ाई लड़ी है । वे अच्छी तरह जानती हैं कि कौन उनके हित की रक्षा करते हैं और कौन उनके दुश्मन हैं । राष्ट्रीय मोर्चा के चुनाव घोषणापत्र में वादा किया है; और हम उम्मीद करते हैं कि वादे को निभाया जायेगा; शादी, तलाक सुरक्षा आदि से संबंधित भेद-भावपूर्ण कानूनों की समीक्षा की जायेगी । नौकरियों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ।

हमारे देश की आम महिलाओं, गृहणियों, का अपना अनुभव है । हर स्तर पर भ्रष्टाचार, मूल्य-वृद्धि व छेड़-छाड़ के अनुभवों को ध्यान में रखकर सोचने पर वे स्वयं पायेंगीं कि राष्ट्रीय मोर्चा-वाम पार्टियां ही उनके प्रति प्रतिबद्ध हैं ।

महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष छेड़ें

यह स्वागत योग्य बात है कि निम्न से उच्च वर्ग की महिलाएं अपने अधिकारों के लिए तथा छेड़-छाड़ व सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष के लिए बड़ी सख्या में आगे आ रही हैं । देश भर के महिला संगठनों ने महिलाओं से अपील की है कि वे धर्म-निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता तथा महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों को वोट दें ।

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने महिलाओं की कुछ मांगों को पूरा करने का प्रयास किया है । इसने महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया है । इसके सांप्रदायिकता विरोधी व लोकतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षता समर्थक रुख का स्वागत हुआ है । इसने एक योजना आयोग बनाया है जिसमें 'आडवा' सहित महिलाओं प्रतिनिधित्व दिया गया है ।

जब आंगनवाड़ी महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी. पी. सिंह से मिलने गया तो उन्होंने उनका वेतन बढ़ाने के मामले में गहरी दिलचस्पी दिखाई । जनता दल सांसद 4 मार्च को बोट क्लब पर आंगनवाड़ी महिलाओं की रैली को संबोधित करने के लिए आए ।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 'राम मंदिर-बाबरी मस्जिद' मामले में राष्ट्रीय मोर्चा ने धर्मनिरपेक्ष रुख अपनाया । राष्ट्रीय मोर्चा ने यह भी कहा है कि कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के आधार पर पिछड़ी जातियों को न्याय प्रदान किया जायेगा । राष्ट्रीय मोर्चा-वाम पार्टियों के इन वादों व कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए महिलाओं से अपील करेंगे कि वे इस गठबंधन के लिए मत दें ।

प्रत्येक वोट कीमती है । कई बार पाया जाता है कि महिलाओं के वोट का निर्णायक महत्व होता है । हमें पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय एकता व महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करने वालों को वोट देने के फैसले के साथ बड़ी संख्या में अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए आगे आयेंगी । यदि माकपा के नेतृत्व वाली वाम पार्टियों व राष्ट्रीय मोर्चा को सत्ता सौंपी जाती है तो वह देश की आर्थिक व सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने तथा राष्ट्रीय एकता व लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने का प्रयास करेंगी ।

शीघ्र प्रकाश्य

कामकाजी महिलाओं के तीसरे सम्मेलन की संक्षिप्त रिपोर्ट (अंग्रेजी में)

मूल्य : 5 रु०

प्रतियों के लिए लिखें :

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियनस
6, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली-110001

समान वेतन पर आई. एल. ओ. सम्मेलन पर सीटू की टिप्पणी

[हम समान वेतन संबंधी आई. एल. ओ. सम्मेलन की विशेषज्ञ समिति पर सीटू की टिप्पणी प्रकाशित कर रहे हैं। यह टिप्पणी सीटू की सचिव विमल रणदिवे द्वारा श्रम मंत्रालय को भेजी गयी थी—सं.]

हमें प्रसन्नता है कि समान वेतन कानून 1976 के वास्तविक कामकाज के बारे में 1976 में सीटू की शिकायतों पर आई. एल. ओ. सम्मेलन समिति में विचार हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समान वेतन कानून पास हो जाने के बाद भी इस संबंध में कई कमियां रह गयीं हैं और यदि भारत सरकार इस संबंध में ठोस कदम उठाये तो इससे महिलाओं के हितों की सुरक्षा हो सकती है।

हम प्रशासनिक टिप्पणी में कही गयी इस बात से सहमत नहीं हैं कि सरकार द्वारा उठायी गये कदम, समान वेतन कानून व इसके लागू होने के बारे में कर्मचारियों व मजदूरों में जागरुकता पैदा करने में सक्षम हैं। यह बात सरकारी उपक्रमों सहित अनेक उद्योगों में कानून के लागू न होने से साबित होती है।

सीटू को केन्द्र की कानून लागू कराने के लिए 'श्रम इंस्पेक्टर' के पद तथा स्टाफ की नियुक्ति योजना के संबंध में सरकार द्वारा आई एल ओ दी गयी रपट की भी कोई जानकारी नहीं है। यदि गंभीरतापूर्वक ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो उससे समान वेतन कानून को लागू करवाने में काफी मदद मिल सकती है। श्रम संगठनों को इस योजना के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायी जानी चाहिये क्योंकि उससे योजना के कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी।

सीटू इस बात को दोहराती है कि सरकारी मशीनरी इस बारे में गंभीर नहीं है तथा वह अपने अधिकारियों द्वारा जमा की गयी रिपोर्टों पर निर्भर रहती है। अन्यथा यह कैसे संभव है बीड़ी, वस्त्र, कृषि व निर्माण उद्योग में कार्यरत महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन मिल रहा है। समान अथवा एक जैसे काम के लिए समान वेतन के संबंध में यह प्रशासनिक टिप्पणियाँ कि "विकास की वर्तमान अवस्था में उसे करना संभव नहीं है" अथवा बदले हुए कानून को लागू करना अधिक आवश्यक व महत्वपूर्ण होगा।" यही जाहिर करती हैं कि सरकार समान वेतन कानून को लागू करने के मामले में दृढ़ नहीं है। समान वेतन देने से बचने के लिए मालिकों द्वारा यह रुख अपनाया गया था कि महिलाओं व पुरुषों के काम में अंतर है अतः समान वेतन का प्रश्न ही नहीं उठता। 1977 में तत्कालीन श्रम मंत्री के साथ हुई हमारी मीटिंग में यह बात स्पष्ट कर दी गयी थी जहां पुरुष व महिलाएं साथ-साथ काम करते हैं। हाँ असमानता नहीं बरती जानी चाहिये। हमने अपनी टिप्पणी में यह उदाहरण दिया है कि कर्नाटक में बागान मालिकों ने 'समान वेतन' से बचने के लिए सारी महिलाओं को एक ही श्रेणी में रखा दरअसल बीड़ी व निर्माण उद्योग में पुरुषों व महिला कर्मियों का काम समान या एक जैसा है। इसके बावजूद बिहार व मध्यप्रदेश में महिलाओं को कम वेतन मिलता है। निर्माण उद्योग में महिलाएं व पुरुष वैगनों में कोयला लादने का काम करते हैं फिर भी उन्हें समान वेतन नहीं मिलता। प्रायः महिलाओं को समान वेतन न देने के लिए 'पीस रेट सिस्टम' अपनाया जाता है। अतः सरकार का यह तर्क कि 'समान काम के लिए समान वेतन एक विकसित अवधारणा है' सही नहीं है। उसके तहत समान वेतन देने से बचने का प्रयास किया है।

समान वेतन कानून के अंतर्गत छूट का ग़लत इस्तेमाल किया जाता है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में 'एयर इंडिया' व 'इंडियन एयरलाइंस' की नर्सें शामिल नहीं हैं। पेशेवर मजदूरों को भी इससे बाहर रखा गया है जिसके फलस्वरूप एक महिला आशुलिपिक उच्चतम न्यायालय में 'मैकिनॉन एण्ड मैकिनिज़ी' मामले में मुकदमा हार गयी थी।

जब कानून में परिवर्तन किया गया था तब प्रमुख केन्द्रीय श्रम आयुक्त द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि यह केवल वेतन पर लागू होगा न कि कार्य स्थितियों पर। इसके बावजूद 'एयर इंडिया प्रबंधक' मामले को बम्बई उच्च न्यायालय तक ले गये। 'एयर इंडिया प्रबंधक' ग़लत तौर-तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं तथा कानून के उल्लंघन के संबंध में कोई फैसला होने नहीं दे रहे हैं। कानून की कमजोरियों को दूर

करते हुए शिकायतों पर फैसला करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

कानून तथा उसके अन्तर्गत बनाये नियमों की कमियों के कारण ही 'एयर इंडिया' की विमान परिचारिकाओं 45 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होना पड़ता है जबकि पुरुष कर्मी 58 वर्ष तक काम कर सकते हैं। हालांकि पुरुषों व महिलाओं का काम समान ढंग का है फिर भी यह कर भेद-भाव बढ़ता जाता है कि ये दो अलग-अलग श्रेणियां हैं। उल्लेखनीय है कि जबकि 'इंडियन एयर लाइंस' ने विमान परिचारिकाओं की सेवा निवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी है, एयर इंडिया प्रबंधक' ऐसा करने को तैयार नहीं है तथा सरकार की तरफ से भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

विमान परिचारिकाओं के साथ पदोन्नति तथा कार्यस्थितियों के बारे में भी भेद-भाव बरता जा रहा है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए।

इस मामले में तुरन्त कदम उठाया जाना आवश्यक है ताकि प्रबंधकों द्वारा कानून की कमियों का गलत फायदा उठाना रोका जा सके।

आई. एल. ओ. द्वारा इंस्पेक्टरों द्वारा कार्य स्थान पर किये गये दौरों की संख्या की विस्तृत जानकारी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है। हमें इस तरह की कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। हमने अपनी टिप्पणी में अपने इस अनुभव का उल्लेख किया है कि 'जांच मशीनरी' मालिकों से मिली है तथा भ्रष्ट है। तब से स्थिति में कोई ठोस बदलाव नहीं आया है। अतः महिलाएं समान वेतन का अपना अधिकार खो देती हैं। हमारा अब भी मानना है कि कार्य स्थल पर रिकार्ड ठीक से नहीं रखे जाते। सीटू की इस आलोचना का समर्थन अनेक भारतीय श्रमिक पत्रिकाओं के शोधों से हुआ है जिसका उल्लेख हमारी पिछली टिप्पणी में किया गया है। तब से स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है।

बागानों में प्रबंधकों व मजदूरों के बीच द्विपक्षीय समझौते के आधार पर निश्चित वेतन के बारे में आई. एल. ओ. की टिप्पणी सही है। असम में अभी भी महिलाओं का वेतन कम है। हमें खुशी है कि आई. एल. ओ. समिति ने भारत सरकार से कहा है कि वह देखे कि ऐसे समझौतों में समान वेतन कानून का उल्लंघन न हो।

अंत में हम कुछ बातों का उल्लेख करना चाहेंगे। श्रमसंगठनों के प्रयासों से पुरुष व महिला श्रमिकों में जागरुकता बढ़ी है। श्रम संघों की महिला शाखायें महिलाओं की समस्याएं उठाती हैं तथा उनमें जागरूकता पैदा करती हैं। और इसी का परिणाम है कि महिलाएं समान वेतन जैसे अपने हितों के लिए आगे आ रही हैं।

हाल में ही केन्द्र सरकार ने श्रम संगठनों में महिलाएं तथा परिवार नियोजन आदि विषयों पर दो सम्मेलन किये जिसमें प्रबंधकों, श्रम संगठनों तथा स्वयंसेवी संगठनों को आमंत्रित किया गया। इन प्रयासों से निश्चित रूप से महिलाओं के विचार तथा उनसे संबंधित कानूनों की कमियां जानने में सहायता मिलती है। लेकिन अब तक उठाये गये कदम केवल प्रतीकात्मक हैं तथा उनका समस्याओं से कोई सीधा संबंध नहीं है। सरकार की ओर से और ठोस कदम उठाया जाना आवश्यक है।

अतः हम समझते हैं कि ये प्रयास यहीं रुक नहीं जाने चाहिए। इन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि समान वेतन कानून के संबंध में अधिक उत्साहवर्धक परिणाम हासिल किये जा सकें। सरकार को सबको सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए महिलाओं के साथ भेद-भाव समाप्त करना चाहिए। इस मामले में आई. एल. ओ. द्वारा आगे कदम उठाये जाने से महिला उद्यमियों को समानता दिलाने में बड़ी सहायता मिलेगी।

सीटू इस मामले को आगे कदम उठाने की आई एल. ओ. से गुजारिश करती है। हालांकि सीटू ने 15 वर्ष पहले शिकायत की थी लेकिन भारत सरकार अभी महिलाओं के साथ वेतन तथा कार्यस्थितियों के बारे में न्याय नहीं कर रही है। हमें उस मामले में आई. एल. ओ. से गंभीर रुख की उम्मीद है व हम आशा करते हैं कि वह भारत सरकार पर भेदभाव समाप्त करने के लिए दबाव डालेगी।